"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."




पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2010-2012."

# छत्तीसगढ़ राजपत्र

## प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 47 ] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 25 नवम्बर 2011—अग्रहायण 4, शक 1933

विषय—सूची



# भाग १

## राज्य शासन के आदेश

### सामान्य प्रशासन विभाग
### मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 5 नवम्बर 2011

क्रमांक ई-1-10/2010/1/2.—भारतीय प्रशासनिक सेवा के 1995 आवंटन वर्ष के, वर्तमान में केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत, निम्नांकित अधिकारीगण को, आवंटन वर्ष से 16 वर्ष की सेवा दिनांक 1-1-2011 को पूर्ण कर लेने के फलस्वरूप, भा.प्र.से. (वेतन) नियम, 2007, के नियम 3 (1) के परन्तुक के अंतर्गत, उक्त तिथि (1-1-2011) से सेवा के अधिसमय वेतनमान (पे बैंड-4, रु. 37400-67000, ग्रेड पे-रु. 10000) में प्रोफार्मा पदोन्नति प्रदान की जाती है :—

1. डॉ. मनिन्दर कौर द्विवेदी, (सीजी:1995)
2. श्री गौरव द्विवेदी, (सीजी:1995)



संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2011.

2. भारत सरकार, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के पत्र क्रमांक 11030/22/2007-एआईएस-II, दिनांक 5-1-2011 के द्वारा 1995 आवंटन वर्ष के लिये अधिसमय वेतनमान में प्रोफॉर्मा पदोन्नति हेतु 02 रिक्तियों का निर्धारण किया गया है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
**पी. जॉय उम्मेन,** मुख्य सचिव.

---

रायपुर, दिनांक 4 नवम्बर 2011

क्रमांक ई-1-2/2011/एक/2.— इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 30-07-2011 की कण्डिका-3 के अनुसार सुश्री आर. शंगीता, भा.प्र.से. (2005) को संचालक, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, रायपुर के पद पर पदस्थ किया गया है. कृपया उक्त आदेश की कण्डिका-3 में "संचालक" के स्थान पर "प्रबंध संचालक" पढ़ा जावे.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
**निधि छिब्बर,** सचिव.

---

रायपुर, दिनांक 4 मार्च 2011

## संशोधन आदेश

क्रमांक एफ 9-2/2011/1-8.—इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 17-02-2011 द्वारा श्री अनिल राय (भा.व.से.), वन संरक्षक, कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक, रायपुर छत्तीसगढ़ की सेवाएं लेते हुए, संचालक राज्य शैक्षणिक परिषद् राज्य परियोजना कार्यालय (राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान) के पद पर पदस्थ करने हेतु स्कूल शिक्षा विभाग को सौंपी गई है. उक्त आदेश में आंशिक संशोधन करते हुए "राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान" को विलोपित किया जाता है.

रायपुर, दिनांक 31 मार्च 2011

क्रमांक 634/200/अव./2011/1-8/स्था.—श्रीमती कर्मेला लकड़ा, अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, कृषि विभाग को दिनांक 24-1-2011 से 11-3-2011 तक 47 दिवस का लघुकृत अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

2. अवकाश से लौटने पर श्रीमती कर्मेला लकड़ा को अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, कृषि विभाग के पद पर पुन: पदस्थ किया जाता है

3. अवकाश अवधि में इन्हें अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

4. प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती कर्मेला लकड़ा अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर कार्य करती रहतीं.

रायपुर, दिनांक 31 मार्च 2011

क्रमांक 636/184/अव./2011/1-8/स्था.—श्री एन. के. शुक्ला (रा.प्र.से.), संयुक्त सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, गृह विभाग को दिनांक 18-4-2011 से 27-04-2011 तक 10 दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत करते हुये दिनांक 16 एवं 17-04-2011 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री एन. के. शुक्ला को संयुक्त सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, गृह विभाग के पद पर पुन: पदस्थ किया जाता है.

3. अवकाश अवधि में उन्हें अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

4. प्रमाणित किया जाता है कि श्री एन. के. शुक्ला अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

रायपुर, दिनांक 31 मार्च 2011

क्रमांक 640/126/अव./2011/1-8/स्था.—इस विभाग के आदेश क्रमांक 556/126/2011/1-8/स्था., दिनांक 10-3-2011 द्वारा श्री राम प्रसाद राठिया, अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, लोक निर्माण विभाग को दिनांक 17-2-2011 से 24-2-2011 तक 08 दिवस स्वीकृत किये गये अर्जित अवकाश के अनुक्रम में दिनांक 25-2-2011 से 26-2-2011 तक 02 दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

2. पैरा-2, 3 एवं 4 विभागीय आदेश दिनांक 10-3-2011 के अनुसार यथावत् होगी.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
**एल. डी. चोपड़े**, अवर सचिव.

---

## स्कूल शिक्षा विभाग
### मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 22 नवम्बर 2011

क्रमांक एफ 13-83/20-3/2011.—छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा अधिनियम 1965 क्रमांक 23 सन् 1965 की धारा 4 की उपधारा (1) के खण्ड (ट) के उपखण्डों द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार एतद्द्वारा श्री परसराम बोहरा को छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मण्डल (रायपुर) का सदस्य के रूप में नाम निर्दिष्ट करती है.

2. उक्त नाम निर्दिष्ट सदस्य की पदावधि इस अधिसूचना के छत्तीसगढ़ राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से 3 वर्ष की होगी.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
**रीता शाण्डिल्य**, उप-सचिव.

---

## गृह (पुलिस) विभाग
### मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 18 अगस्त 2011

क्रमांक एफ 2-34/दो-गृह/रापुसे/2008.—छत्तीसगढ़ पुलिस अधिनियम, 2007 (क्र. 13 सन् 2007) की धारा 50 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ सशस्त्र कार्यपालिक बल (छ.स.बल), आरक्षक (जनरल ड्यूटी) एवं आरक्षक ट्रेड (कुशल/अकुशल) (भर्ती तथा सेवा की शर्तें) नियम, 2008 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

### संशोधन

उक्त नियमों में :—

नियमों की उद्देशिका में क्रमशः शब्द "भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक", "छत्तीसगढ़ के राज्यपाल" तथा "बनाते" के स्थान पर शब्द "छत्तीसगढ़ पुलिस अधिनियम, 2007 (क्र. 13 सन् 2007) की धारा 50 की उप-धारा (1)", "राज्य सरकार" तथा "बनाता" प्रतिस्थापित किया जाये.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
**विलियम कुजूर**, उप-सचिव.

रायपुर, दिनांक 18 अगस्त 2011

क्रमांक एफ 2-34/दो-गृह/रापुसे/2008.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना समसंख्यक दिनांक 18-08-2011 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
**विलियम कुजूर**, उप-सचिव.

Raipur, the 18th August 2011

No. F 2-34/2-Home/SPS/2008.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 50 of the Chhattisgarh Police Act, 2007 (No. 13 of 2007), the State Government hereby makes the following amendment to the Chhattisgarh Armed Executive Force (CAF), Constable (General Duty) and Trade Constable (Trained/Untrained) (Recruitment and Conditions of Service) Rules, 2008, namely :—

AMENDMENT

In the said Rules,—

In preamble of the rules, for the words "proviso to Article 309 of the Constitution of India", "Governor of Chhattisgarh" and "make", the words "sub-section (1) of Section 50 of the Chhattisgarh Police Act, 2007 (No. 13 of 2007)", "State Government" and "makes" shall be substituted, respectively.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
WILLIAM KUJUR, Deputy Secretary.

## वन विभाग
### मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 9 नवम्बर 2011

क्रमांक एफ 1-125/2001/10-1.—छत्तीसगढ़ राजपत्र (असाधारण) अधिसूचना क्रमांक एफ 125/व.सं./2001, दिनांक 20-07-2001 में प्रकाशित अधिसूचना में आंशिक संशोधन करते हुए वनमंडल का नाम एवं मुख्यालय का परिवर्तन निम्नानुसार किया जाता है :—

| अ. क्र. | वनवृत्त का नाम | वर्तमान वनमंडल का नाम | संशोधित वनमंडल का नाम |
|---|---|---|---|
| 1. | कांकेर | उत्तर कोण्डागांव वनमंडल, कोण्डागांव | केशकाल वनमंडल केशकाल |

No. F 1-125/2001/10-1.—By making a partial Amendment in Chhattisgarh Gazette (Extra ordinary) Notification No. F/125/व.सं./2001, Dated 20-07-2001, the State Government changes the Name and Head Quarter of Forest Division as follows :—

| S. No. | Name of Forest Circle | Present name of Forest Division and its Head Quarter | Changed name of Division and its Head Quarter |
|---|---|---|---|
| 1 | Kanker | North Kondagaon Division H.Q. Kondagaon. | Keshkal Forest Division H.Q. Keshkal. |

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
**बी. एस. अनंत**, सचिव.

# जनसम्पर्क विभाग
## मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 15 नवम्बर 2011

क्रमांक 828/1009/2011/प.क.स./चौबीस.—छत्तीसगढ़ पत्रकार कल्याण कोष समिति के प्रावधानों के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए राज्य शासन एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ पत्रकार कल्याण समिति का गठन कर निम्नानुसार प्रतिनिधि पत्रकारों को सदस्य के रूप में नामांकित करता है :—

1. श्री शशांक शर्मा, संपादक, दैनिक देशबंधु.
2. श्री शिरीष मिश्रा, इनपुट हेड जी-24, छत्तीसगढ़, रायपुर.
3. श्री श्याम बेताल, संपादक, दैनिक नवभारत, रायपुर.
4. श्री तुषारकान्ति बोस, प्रधान संपादक, दैनिक दण्डकारण्य जगदलपुर.
5. श्री बाबूलाल शर्मा, सिटी चीफ, दैनिक अमृत संदेश, रायपुर.

2. पत्रकार कल्याण कोष समिति के सदस्य सचिव अपर संचालक, जनसंपर्क होंगे. समिति का कार्यकाल दो वर्ष होगा.

रायपुर, दिनांक 15 नवम्बर 2011

क्रमांक 830/1009/2011/प.अधि.समि./चौबीस.—राज्य शासन एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ समाचार पत्र प्रतिनिधि अधिमान्यता नियम 2001 के नियम 13 एवं 14 के अनुसार जिलास्तरीय अधिमान्यता के लिए निम्नानुसार संभागवार समितियां गठित करता है :—

### संभागीय अधिमान्यता समिति रायपुर

1. श्री प्रशांत शर्मा, संपादक, दैनिक स्वदेश, रायपुर.
2. श्री रविकांत कौशिक, दैनिक प्रखर समाचार, धमतरी.
3. श्री संजय दीक्षित, रिपोर्टर, दैनिक हिन्दुस्तान, रायपुर.
4. श्री राजेन्द्र शुक्ला, ब्यूरो चीफ, आर.एन.एस. रायपुर.
5. श्री देवेन्द्र कर, संपादक, दैनिक आज की जनधारा, रायपुर.
6. श्री अरूण उपाध्याय, दैनिक नई दुनिया, रायपुर.
7. श्री आलोक तिवारी, ब्यूरो चीफ, दैनिक हरिभूमि, भिलाई.
8. श्री अशोक पाण्डेय, संपादक, दैनिक नांदगांव टाइम्स, राजनांदगांव.

### संभागीय अधिमान्यता समिति बिलासपुर

1. श्री मनीष दवे, संपादक, दैनिक भास्कर, बिलासपुर.
2. श्री उदयराम थवाइत, संपादक, केलोप्रवाह, रायगढ़.
3. श्री प्रवीण शुक्ला, संपादक, हरिभूमि, बिलासपुर.
4. श्री रूद्र अवस्थी, संपादक, ग्रैण्डन्यूज चैनल केबल, बिलासपुर.
5. श्री छेदीलाल अग्रवाल, संपादक, दैनिक मितान, कोरबा.
6. श्री विनोद छापरिया, संपादक, दैनिक कुशाग्रता, रायगढ़.
7. श्री दिनेश मिश्रा, संपादक ब्यूरो चीफ, नवभारत, रायगढ़.
8. श्री किशोर शर्मा, संपादक, छत्तीसगढ़ गौरव, कोरबा.

### संभागीय अधिमान्यता समिति जगदलपुर

1. श्री वीरेन्द्र मिश्रा, ब्यूरो चीफ, दैनिक भास्कर, जगदलपुर.
2. श्री सुरेश अवस्थी, ब्यूरो चीफ, सांध्य दैनिक प्रखर समाचार, कांकेर.
3. श्री दिलशाद नियाजी, प्रधान संपादक, दैनिक हिन्दसत, जगदलपुर.
4. श्री भंवर बोथरा, दैनिक नई दुनिया, जगदलपुर.
5. श्री हेमंत कश्यप, ब्यूरो चीफ, दैनिक नई दुनिया, दंतेवाड़ा.
6. मो. साहुल हमीद, ब्यूरो चीफ, दैनिक दण्डकारण्य समाचार, दंतेवाड़ा.
7. श्री मनीष गुप्ता, ब्यूरो चीफ, दैनिक नवभारत, जगदलपुर.
8. श्री हरजीत सिंह पप्पू, ब्यूरो चीफ, दैनिक छत्तीसगढ़, जगदलपुर.

रायपुर, दिनांक 15 नवम्बर 2011

क्रमांक 832/1009/2011/प.अधि.समि./चौबीस.—राज्य शासन एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ समाचार पत्र प्रतिनिधि अधिमान्यता नियम 2001 के नियम 4 अनुसार राज्य स्तरीय अधिमान्यता समिति निम्नानुसार गठित करता है :—

1. श्री राजीव सिंह, संपादक, दैनिक भास्कर, रायपुर.
2. श्री रवि भोई, संपादक, नई दुनिया, रायपुर.
3. श्री सुनील कुमार, संपादक, दैनिक छत्तीसगढ़, रायपुर.
4. श्री सुशील कोठारी, संपादक, दैनिक सबेरा संकेत, राजनांदगांव.
5. श्री ऐजाज केसर, ब्यूरो प्रमुख, दैनिक हिन्दुस्तान टाइम्स, रायपुर.
6. श्री अशोक साहू, वरिष्ठ संवाददाता, वार्ता, रायपुर.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
**एम. के. त्यागी,** विशेष सचिव.

## कृषि विभाग

### मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 01 अक्टूबर 2011

क्रमांक/3878/एफ-11/11/2011-12/रबी/14-2.—भारत सरकार, कृषि मंत्रालय, कृषि एवं सहकारिता विभाग के पत्र क्रमांक/13011/01/2008-Credit.II, दिनांक 10 मार्च, 2011 द्वारा जारी प्रशासकीय निर्देश के अनुक्रम में राज्य सरकार एतद्द्वारा राज्य के 06 जिलों में चयनित फसलों (जिनका विवरण नीचे तालिका में दिया गया है) के लिए पायलट आधार पर रबी 2011-12 मौसम हेतु मौसम आधारित फसल बीमा योजना (WBCIS) लागू करती है. इस योजना का क्रियान्वयन एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कम्पनी ऑफ इण्डिया लिमिटेड, इफको-टोकियो जनरल इंश्योरेंस कम्पनी, आई.सी.आई.सी.आई. लोम्बार्ड, चोलामण्डलम एम.एस. जनरल इंश्योरेंस कम्पनी तथा एच.डी.एफ.सी. अरगो जनरल इंश्योरेंस कम्पनी के माध्यम से किया जायेगा. योजना क्रियान्वयन में प्रीमियम अनुदान का भुगतान वित्तीय वर्ष 2011-12 में प्रावधानित राशि से संचालक कृषि द्वारा किया जाएगा.

2. पायलट मौसम आधारित फसल बीमा योजना (WBCIS) रबी 2011-12 में निम्नलिखित जिलों में लागू होगा :—

| जिला (1) | तहसील (2) | फसल बीमा कम्पनी का नाम (3) | फसल का नाम (4) |
|---|---|---|---|
| रायपुर | समस्त तहसीलें | इफको टोकियो जनरल इंश्योरेंस कम्पनी | गेहूं एवं चना |

| (1) | (2) | (3) | (4) |
|---|---|---|---|
| दुर्ग | समस्त तहसीलें | एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कम्पनी ऑफ इण्डिया लिमि. | गेहूं एवं चना |
| राजनांदगांव | समस्त तहसीलें | आई.सी.आई.सी.आई. लोम्बार्ड | गेहूं एवं चना |
| बिलासपुर | समस्त तहसीलें | चोलामण्डलम एम.एस. जनरल इंश्योरेंस कम्पनी | गेहूं एवं चना |
| कबीरधाम | समस्त तहसीलें | एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कम्पनी ऑफ इण्डिया लिमि. | गेहूं एवं चना |
| सरगुजा | समस्त तहसीलें | एच.डी.एफ.सी. अरगो जनरल इंश्योरेंश कम्पनी | गेहूं एवं चना |

3. यह पायलट योजना अधिसूचित फसल व क्षेत्र के ऋणी कृषकों के लिए अनिवार्य तथा अऋणी कृषकों के लिए ऐच्छिक होगा.

4. राज्य स्तरीय तकनीकी समिति द्वारा फसल बीमा कंपनियों से प्राप्त उत्पादों का अध्ययन मौसम विज्ञान केन्द्र से प्राप्त औसत (सामान्य) तापक्रम एवं वर्षा के आंकड़ों से किया जाकर फसलवार तथा जिलेवार Trigger Temperature Exit Temperature Payout, Maximum Payout Trigger Rainfall, Exit Rainfall, Payout तथा Maximum Payout का विवरण परिशिष्ट-1 में फसलवार, जिलेवार दर्शित है.

5. अधिसूचना में शामिल फसल बीमा कंपनियों को परिशिष्ट-1 में उल्लेखित Trigger को मान्य करने की बाध्यता होगी तथा दावे की गणना इसी आधार पर की जायेगी.

6. योजना के क्रियान्वयन हेतु फसल बीमा कंपनियों द्वारा पर्याप्त प्रचार-प्रसार किया जायेगा.

7. किसान बीमा प्रस्ताव पत्र के प्रत्येक अधिसूचित फसल के लिए जोत के अंतर्गत रकबे की घोषणा करेगा.

8. इस योजना का संचालन चयनित अधिसूचित संदर्भित क्षेत्र के क्षेत्र दृष्टिकोण (एरिया एप्रोच) सिद्धांत के आधार पर होगा. क्षेत्र दृष्टिकोण से आशय संदर्भ इकाई क्षेत्र से है. संदर्भित इकाई क्षेत्र के फसलों की जोखिम स्वीकार करने और मुआवजा आंकलन के लिए बीमित इकाई क्षेत्र माना गया है. इसी प्रकार अधिसूचित संदर्भित इकाई क्षेत्र में अधिसूचित फसल के सभी बीमित किसानों को उनकी बीमा शर्तो और मुआवजा आंकलन के संबंध में बराबर माना जाएगा.

9. प्रतिकूल मौसम घटनाक्रम की वजह से एवं योजना की शर्तों एवं प्राप्त प्रीमियम राशि तथा भुगतान सारणी के अधीन देय समस्त क्षतिपूर्ति/भुगतान हेतु संबंधित एजेंसी उत्तरदायी होगी. सभी प्रकार के दावों का भुगतान संबंधित एजेंसी द्वारा वहन किया जाएगा.

10. दावा भुगतान प्रक्रिया :—

(क) दावा राशि का भुगतान संबंधित एजेंसी द्वारा मौसम केन्द्र से प्राप्त आंकड़े व सरकार द्वारा कोष (प्रीमियम अनुदान) उपलब्ध कराने पर शीर्ष बैंक शाखा को बीमा अवधि समाप्त होने पर 45 दिनों के भीतर कर दिया जाएगा.

(ख) मुआवजा प्रक्रिया स्वचालित होगी, संबंधित एजेंसी द्वारा मुआवाजा आंकलन प्राप्त वास्तविक मौसम के आंकड़े के आधार पर किया जायेगा, बीमित कृषकों के खाते में शीर्ष बैंक वित्तीय संस्था का उपयोग करते हुए मुआवजा राशि स्वयं ही जमा करा दी जाएगी.

11. अधिसूचित जिलों में फसलों में राष्ट्रीय कृषि बीमा योजनान्तर्गत प्रायोजित फसल कटाई प्रयोगों का आयोजन यथावत् किया जायेगा, किन्तु इन प्रयोगों के परिणाम का कोई असर मुआवजें की गणना अथवा भुगतान नहीं पड़ेगा.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
**प्रदीप कुमार दवे**, उप सचिव.

# परिशिष्ट-1

## मौसम आधारित फसल बीमा योजना रबी वर्ष 2011-12 के अंतर्गत तापमान एवं वर्षा के विभिन्न ट्रिगर

DISTRICT - RAIPUR

**Crop - Gram**

**Cover Maximum Temperature**

| **Cover Period** | **1 Jan. to 15 Jan.** | **16 Jan. to 31 Jan.** | **1 Feb. to 14 Feb.** | **15 Feb. to 28 Feb.** | **1 Mar. to 15 Mar.** | **16 Mar. to 31 Mar.** | **1 April to 15 April** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trigger Temperature ("C) | 27.0 | 28.0 | 30.0 | 32.0 | 34.0 | 37.0 | 39.0 |
| Exit Temperature ("C) | 32.0 | 33.0 | 35.0 | 37.0 | 39.0 | 42.0 | 44.0 |
| Different Temperature ("C) | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
| Payout or Notional (Rs. per $^{0}$C) Rs. 430 | 2150.00 | 2150.00 | 2150.00 | 2150.00 | 2150.00 | 2150.00 | 2100.00 (Rs. 420 per $^{0}$C) |
| Maximum Payout Rs. | 2150.00 | 2150.00 | 2150.00 | 2150.00 | 2150.00 | 2150.00 | 2100.00 |
| **Maximum Payout Rs. 15000** | | | | | | | |

| **Excess Rainfall** | **Cumulative for any three consecutive days** | | |
|---|---|---|---|
| | 1 Jan. to 31 Jan. | 1 Feb. to 28 Feb. | 1 Mar. to 31 Mar. |
| Trigger Rainfall (mm) | 20 | 20 | 20 |
| Exit Rainfall (mm) | 30 and above | 30 and above | 30 and above |
| Different Rainfall (mm) | 10 | 10 | 10 |
| Payout or Notional (Rs. per mm) Rs. 200 | 2000.00 | 2000.00 | 1000.00 Payout Rs. per mm 100/- |
| Maximum Payout Rs. | 2000.00 | 2000.00 | 1000.00 |
| **Maximum Payout Rs. 5000** | | | |

## District- BILASPUR

## Crop - Gram

### Cover Maximum Temperature

| Cover Period | 1 Jan. to 15 Jan. | 16 Jan. to 31 Jan. | 1 Feb. to 14 Feb. | 15 Feb. to 28 Feb. | 1 Mar. to 15 Mar. | 16 Mar. to 31 Mar. | 1 April to 15 April |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trigger Temperature ("C) | 24.0 | 24.0 | 26.0 | 28.0 | 30.0 | 34.0 | 36.0 |
| Exit Temperature ("C) | 29.0 | 29.0 | 31.0 | 33.0 | 35.0 | 39.0 | 41.0 |
| Different Temperature ("C) | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
| Payout or Notional (Rs. per $^0$C) Rs. 430 | 2150.00 | 2150.00 | 2150.00 | 2150.00 | 2150.00 | 2150.00 | 2100.00 (Rs. 420 per $^0$C) |
| Maximum Payout Rs. | 2150.00 | 2150.00 | 2150.00 | 2150.00 | 2150.00 | 2150.00 | 2100.00 |
| **Maximum Payout Rs. 15000** | | | | | | | |

| **Excess Rainfall** | **Cumulative for any three consecutive days** | | |
|---|---|---|---|
| | 1 Jan. to 31 Jan. | 1 Feb. to 28 Feb. | 1 Mar. to 31 Mar. |
| Trigger Rainfall (mm) | 20 | 20 | 20 |
| Exit Rainfall (mm) | 30 and above | 30 and above | 30 and above |
| Different Rainfall (mm) | 10 | 10 | 10 |
| Payout or Notional (Rs. per mm) Rs. 200 | 2000.00 | 2000.00 | 1000.00 Payout Rs. per mm 100/- |
| Maximum Payout Rs. | 2000.00 | 2000.00 | 1000.00 |
| **Maximum Payout Rs. 5000** | | | |

## District- KABIRDHAM

## Crop - Gram

### Cover Maximum Temperature

| Cover Period | 1 Jan. to 15 Jan. | 16 Jan. to 31 Jan. | 1 Feb. to 14 Feb. | 15 Feb. to 28 Feb. | 1 Mar. to 15 Mar. | 16 Mar. to 31 Mar. | 1 April to 15 April |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trigger Temperature ("C) | 25.0 | 26.0 | 28.0 | 31.0 | 33.0 | 36.0 | 38.0 |
| Exit Temperature ("C) | 30.0 | 31.0 | 33.0 | 36.0 | 38.0 | 41.0 | 43.0 |
| Different Temperature ("C) | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
| Payout or Notional (Rs. per $^0$C) Rs. 430 | 2150.00 | 2150.00 | 2150.00 | 2150.00 | 2150.00 | 2150.00 | 2100.00 (Rs. 420 per $^0$C) |
| Maximum Payout Rs. | 2150.00 | 2150.00 | 2150.00 | 2150.00 | 2150.00 | 2150.00 | 2100.00 |
| **Maximum Payout Rs. 15000** | | | | | | | |

| **Excess Rainfall** | **Cumulative for any three consecutive days** | | |
|---|---|---|---|
| | 1 Jan. to 31 Jan. | 1 Feb. to 28 Feb. | 1 Mar. to 31 Mar. |
| Trigger Rainfall (mm) | 20 | 20 | 20 |
| Exit Rainfall (mm) | 30 and above | 30 and above | 30 and above |
| Different Rainfall (mm) | 10 | 10 | 10 |
| Payout or Notional (Rs. per mm) Rs. 200 | 2000.00 | 2000.00 | 1000.00 Payout Rs. per mm 100/- |
| Maximum Payout Rs. | 2000.00 | 2000.00 | 1000.00 |
| **Maximum Payout Rs. 5000** | | | |

## District- DURG

### Crop - Gram

**Cover Maximum Temperature**

| Cover Period | 1 Jan. to 15 Jan. | 16 Jan. to 31 Jan. | 1 Feb. to 14 Feb. | 15 Feb. to 28 Feb. | 1 Mar. to 15 Mar. | 16 Mar. to 31 Mar. | 1 April to 15 April |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trigger Temperature ("C) | 27.0 | 28.0 | 30.0 | 32.0 | 34.0 | 37.0 | 39.0 |
| Exit Temperature ("C) | 32.0 | 33.0 | 35.0 | 37.0 | 39.0 | 42.0 | 44.0 |
| Different Temperature ("C) | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
| Payout or Notional (Rs. per $^0$C) Rs. 430 | 2150.00 | 2150.00 | 2150.00 | 2150.00 | 2150.00 | 2150.00 | 2100.00 (Rs. 420 per $^0$C) |
| Maximum Payout Rs. | 2150.00 | 2150.00 | 2150.00 | 2150.00 | 2150.00 | 2150.00 | 2100.00 |
| **Maximum Payout Rs. 15000** | | | | | | | |

| Excess Rainfall | Cumulative for any three consecutive days | | |
|---|---|---|---|
| | 1 Jan. to 31 Jan. | 1 Feb. to 28 Feb. | 1 Mar. to 31 Mar. |
| Trigger Rainfall (mm) | 20 | 20 | 20 |
| Exit Rainfall (mm) | 30 and above | 30 and above | 30 and above |
| Different Rainfall (mm) | 10 | 10 | 10 |
| Payout or Notional (Rs. per mm) Rs. 200 | 2000.00 | 2000.00 | 1000.00 Payout Rs. per mm 100/- |
| Maximum Payout Rs. | 2000.00 | 2000.00 | 1000.00 |
| **Maximum Payout Rs. 5000** | | | |

## District- RAJNANDGAON

### Crop - Gram

**Cover Maximum Temperature**

| Cover Period | 1 Jan. to 15 Jan. | 16 Jan. to 31 Jan. | 1 Feb. to 14 Feb. | 15 Feb. to 28 Feb. | 1 Mar. to 15 Mar. | 16 Mar. to 31 Mar. | 1 April to 15 April |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trigger Temperature ("C) | 25.0 | 26.0 | 28.0 | 31.0 | 33.0 | 36.0 | 38.0 |
| Exit Temperature ("C) | 30.0 | 31.0 | 33.0 | 36.0 | 38.0 | 41.0 | 43.0 |
| Different Temperature ("C) | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
| Payout or Notional (Rs. per $^0$C) Rs. 430 | 2150.00 | 2150.00 | 2150.00 | 2150.00 | 2150.00 | 2150.00 | 2100.00 (Rs. 420 per $^0$C) |
| Maximum Payout Rs. | 2150.00 | 2150.00 | 2150.00 | 2150.00 | 2150.00 | 2150.00 | 2100.00 |
| **Maximum Payout Rs. 15000** | | | | | | | |

| Excess Rainfall | Cumulative for any three consecutive days | | |
|---|---|---|---|
| | 1 Jan. to 31 Jan. | 1 Feb. to 28 Feb. | 1 Mar. to 31 Mar. |
| Trigger Rainfall (mm) | 20 | 20 | 20 |
| Exit Rainfall (mm) | 30 and above | 30 and above | 30 and above |
| Different Rainfall (mm) | 10 | 10 | 10 |
| Payout or Notional (Rs. per mm) Rs. 200 | 2000.00 | 2000.00 | 1000.00 Payout Rs. per mm 100/- |
| Maximum Payout Rs. | 2000.00 | 2000.00 | 1000.00 |
| Maximum Payout Rs. 5000 | | | |

# District- SARGUJA

## Crop - Gram

### Cover Maximum Temperature

| **Cover Period** | **1 Jan. to 15 Jan.** | **16 Jan. to 31 Jan.** | **1 Feb. to 14 Feb.** | **15 Feb. to 28 Feb.** | **1 Mar. to 15 Mar.** | **16 Mar. to 31 Mar.** | **1 April to 15 April** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trigger Temperature ("C) | 23.0 | 24.0 | 26.0 | 26.0 | 30.0 | 34.0 | 36.0 |
| Exit Temperature ("C) | 28.0 | 29.0 | 31.0 | 31.0 | 35.0 | 39.0 | 41.0 |
| Different Temperature ("C) | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
| Payout or Notional (Rs. per $^0$C) Rs. 430 | 2150.00 | 2150.00 | 2150.00 | 2150.00 | 2150.00 | 2150.00 | 2100.00 (Rs. 420 per $^0$C) |
| Maximum Payout Rs. | 2150.00 | 2150.00 | 2150.00 | 2150.00 | 2150.00 | 2150.00 | 2100.00 |
| **Maximum Payout Rs. 15000** | | | | | | | |
| **Excess Rainfall** | **Cumulative for any three consecutive days** | | | | | | |
| | 1 Jan. to 31 Jan. | | 1 Feb. to 28 Feb. | | 1 Mar. to 31 Mar. | | |
| Trigger Rainfall (mm) | 20 | | 20 | | 20 | | |
| Exit Rainfall (mm) | 30 and above | | 30 and above | | 30 and above | | |
| Different Rainfall (mm) | 10 | | 10 | | 10 | | |
| Payout or Notional (Rs. per mm) Rs. 150 | 1500.00 | | 1500.00 Payout Rs. per mm 150/- | | 500.00 Payout Rs. per mm 50/- | | |
| Maximum Payout Rs. | 1500.00 | | 1500.00 | | 500.00 | | |
| **Maximum Payout Rs. 3500** | | | | | | | |
| **Frost loss index (Multiple Events)** | 15 Dec. to 15 Feb. | | | | | | |
| Trigger Temperature ($^0$C) | 7.0 | | | | | | |
| Exit Temperature ($^0$C) | 4.0 | | | | | | |
| Different Temperature ($^0$C) | 3.0 | | | | | | |
| Payout (Rs. per -1$^0$C) Rs. 500 | 1500.00 | | | | | | |
| Maximum Payout Rs. | 1500.00 | | | | | | |
| **Maximum Payout Rs. 1500** | | | | | | | |

# Weather Based Crop Insurance Scheme Rabi 2011-12

## District- RAIPUR

## Crop - Wheat

### Cover Maximum Temperature

| Cover Period | 1 Jan. to 15 Jan. | 16 Jan. to 31 Jan. | 1 Feb. to 14 Feb. | 15 Feb. to 28 Feb. | 1 Mar. to 15 Mar. | 16 Mar. to 31 Mar. | 1 April to 15 April |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trigger Temperature ("C) | 27.0 | 28.0 | 30.0 | 32.0 | 34.0 | 37.0 | 39.0 |
| Exit Temperature ("C) | 32.0 | 33.0 | 35.0 | 37.0 | 39.0 | 42.0 | 44.0 |
| Different Temperature ("C) | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
| Payout or Notional (Rs. per $^0$C) Rs. 286 | 1430.00 | 1430.00 | 1430.00 | 1430.00 | 1430.00 | 1430.00 | 1420.00 (Rs. 284 per $^0$C) |
| Maximum Payout Rs. | 1430.00 | 1430.00 | 1430.00 | 1430.00 | 1430.00 | 1430.00 | 1420.00 |
| Maximum Payout Rs. 10000 | | | | | | | |

| Excess Rainfall | Cumulative for any three consecutive days | | |
|---|---|---|---|
| | 1 Jan. to 31 Jan. | 1 Feb. to 28 Feb. | 1 Mar. to 31 Mar. |
| Trigger Rainfall (mm) | 20 | 20 | 20 |
| Exit Rainfall (mm) | 30 and above | 30 and above | 30 and above |
| Different Rainfall (mm) | 10 | 10 | 10 |
| Payout or Notional (Rs. per mm) Rs. 200 | 2000.00 | 2000.00 | 1000.00 Payout Rs. per mm 100/- |
| Maximum Payout Rs. | 2000.00 | 2000.00 | 1000.00 |
| Maximum Payout Rs. 5000 | | | |

## District- BILASPUR

## Crop - Wheat

### Cover Maximum Temperature

| Cover Period | 1 Jan. to 15 Jan. | 16 Jan. to 31 Jan. | 1 Feb. to 14 Feb. | 15 Feb. to 28 Feb. | 1 Mar. to 15 Mar. | 16 Mar. to 31 Mar. | 1 April to 15 April |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trigger Temperature ("C) | 24.0 | 24.0 | 26.0 | 28.0 | 30.0 | 34.0 | 36.0 |
| Exit Temperature ("C) | 29.0 | 29.0 | 31.0 | 33.0 | 35.0 | 39.0 | 41.0 |
| Different Temperature ("C) | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
| Payout or Notional (Rs. per $^0$C) Rs. 286 | 1430.00 | 1430.00 | 1430.00 | 1430.00 | 1430.00 | 1430.00 | 1420.00 (Rs. 284 per $^0$C) |
| Maximum Payout Rs. | 1430.00 | 1430.00 | 1430.00 | 1430.00 | 1430.00 | 1430.00 | 1420.00 |
| Maximum Payout Rs. 10000 | | | | | | | |

| Excess Rainfall | Cumulative for any three consecutive days | | |
|---|---|---|---|
| | 1 Jan. to 31 Jan. | 1 Feb. to 28 Feb. | 1 Mar. to 31 Mar. |
| Trigger Rainfall (mm) | 20 | 20 | 20 |
| Exit Rainfall (mm) | 30 and above | 30 and above | 30 and above |
| Different Rainfall (mm) | 10 | 10 | 10 |
| Payout or Notional (Rs. per mm) Rs. 200 | 2000.00 | 2000.00 | 1000.00 Payout Rs. per mm 100/- |
| Maximum Payout Rs. | 2000.00 | 2000.00 | 1000.00 |
| Maximum Payout Rs. 5000 | | | |

## District- KABIRDHAM

### Crop - Wheat

**Cover Maximum Temperature**

| Cover Period | 1 Jan. to 15 Jan. | 16 Jan. to 31 Jan. | 1 Feb. to 14 Feb. | 15 Feb. to 28 Feb. | 1 Mar. to 15 Mar. | 16 Mar. to 31 Mar. | 1 April to 15 April |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trigger Temperature ("C) | 25.0 | 26.0 | 28.0 | 31.0 | 33.0 | 36.0 | 38.0 |
| Exit Temperature ("C) | 30.0 | 31.0 | 33.0 | 36.0 | 38.0 | 41.0 | 43.0 |
| Different Temperature ("C) | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
| Payout or Notional (Rs. per $^{0}$C) Rs. 286 | 1430.00 | 1430.00 | 1430.00 | 1430.00 | 1430.00 | 1430.00 | 1420.00 (Rs. 284 per $^{0}$C) |
| Maximum Payout Rs. | 1430.00 | 1430.00 | 1430.00 | 1430.00 | 1430.00 | 1430.00 | 1420.00 |
| **Maximum Payout Rs. 10000** | | | | | | | |

| **Excess Rainfall** | **Cumulative for any three consecutive days** | | |
|---|---|---|---|
| | 1 Jan. to 31 Jan. | 1 Feb. to 28 Feb. | 1 Mar. to 31 Mar. |
| Trigger Rainfall (mm) | 20 | 20 | 20 |
| Exit Rainfall (mm) | 30 and above | 30 and above | 30 and above |
| Different Rainfall (mm) | 10 | 10 | 10 |
| Payout or Notional (Rs. per mm) Rs. 200 | 2000.00 | 2000.00 | 1000.00 Payout Rs. per mm 100/- |
| Maximum Payout Rs. | 2000.00 | 2000.00 | 1000.00 |
| **Maximum Payout Rs. 5000** | | | |

## District- DURG

### Crop - Wheat

**Cover Maximum Temperature**

| Cover Period | 1 Jan. to 15 Jan. | 16 Jan. to 31 Jan. | 1 Feb. to 14 Feb. | 15 Feb. to 28 Feb. | 1 Mar. to 15 Mar. | 16 Mar. to 31 Mar. | 1 April to 15 April |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trigger Temperature ("C) | 27.0 | 28.0 | 30.0 | 32.0 | 34.0 | 37.0 | 39.0 |
| Exit Temperature ("C) | 32.0 | 33.0 | 35.0 | 37.0 | 39.0 | 42.0 | 44.0 |
| Different Temperature ("C) | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
| Payout or Notional (Rs. per $^{0}$C) Rs. 286 | 1430.00 | 1430.00 | 1430.00 | 1430.00 | 1430.00 | 1430.00 | 1420.00 (Rs. 284 per $^{0}$C) |
| Maximum Payout Rs. | 1430.00 | 1430.00 | 1430.00 | 1430.00 | 1430.00 | 1430.00 | 1420.00 |
| **Maximum Payout Rs. 10000** | | | | | | | |

| **Excess Rainfall** | **Cumulative for any three consecutive days** | | |
|---|---|---|---|
| | 1 Jan. to 31 Jan. | 1 Feb. to 28 Feb. | 1 Mar. to 31 Mar. |
| Trigger Rainfall (mm) | 20 | 20 | 20 |
| Exit Rainfall (mm) | 30 and above | 30 and above | 30 and above |
| Different Rainfall (mm) | 10 | 10 | 10 |
| Payout or Notional (Rs. per mm) Rs. 200 | 2000.00 | 2000.00 | 1000.00 Payout Rs. per mm 100/- |
| Maximum Payout Rs. | 2000.00 | 2000.00 | 1000.00 |
| Maximum Payout Rs. 5000 | | | |

# District- RAJNANDGAON

## Crop -Wheat

### Cover Maximum Temperature

| Cover Period | 1 Jan. to 15 Jan. | 16 Jan. to 31 Jan. | 1 Feb. to 14 Feb. | 15 Feb. to 28 Feb. | 1 Mar. to 15 Mar. | 16 Mar. to 31 Mar. | 1 April to 15 April |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trigger Temperature ("C) | 25.0 | 26.0 | 28.0 | 31.0 | 33.0 | 36.0 | 38.0 |
| Exit Temperature ("C) | 30.0 | 31.0 | 33.0 | 36.0 | 38.0 | 41.0 | 43.0 |
| Different Temperature ("C) | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
| Payout or Notional (Rs. per $^0$C) Rs. 286 | 1430.00 | 1430.00 | 1430.00 | 1430.00 | 1430.00 | 1430.00 | 1420.00 (Rs. 284 per $^0$C) |
| Maximum Payout Rs. | 1430.00 | 1430.00 | 1430.00 | 1430.00 | 1430.00 | 1430.00 | 1420.00 |
| **Maximum Payout Rs. 10000** | | | | | | | |

| **Excess Rainfall** | **Cumulative for any three consecutive days** | | |
|---|---|---|---|
| | 1 Jan. to 31 Jan. | 1 Feb. to 28 Feb. | 1 Mar. to 31 Mar. |
| Trigger Rainfall (mm) | 20 | 20 | 20 |
| Exit Rainfall (mm) | 30 and above | 30 and above | 30 and above |
| Different Rainfall (mm) | 10 | 10 | 10 |
| Payout or Notional (Rs. per mm) Rs. 200 | 2000.00 | 2000.00 | 1000.00 Payout Rs. per mm 100/- |
| Maximum Payout Rs. | 2000.00 | 2000.00 | 1000.00 |
| **Maximum Payout Rs. 5000** | | | |

## District- SARGUJA

## Crop - Wheat

### Cover Maximum Temperature

| Cover Period | 1 Jan. to 15 Jan. | 16 Jan. to 31 Jan. | 1 Feb. to 14 Feb. | 15 Feb. to 28 Feb. | 1 Mar. to 15 Mar. | 16 Mar. to 31 Mar. | 1 April to 15 April |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trigger Temperature ("C) | 23.0 | 24.0 | 26.0 | 26.0 | 30.0 | 34.0 | [illegible] |
| Exit Temperature ("C) | 28.0 | 29.0 | 31.0 | 31.0 | 35.0 | 39.0 | [illegible] |
| Different Temperature ("C) | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | [illegible] |
| Payout or Notional (Rs. per $^0$C) Rs. 286 | 1430.00 | 1430.00 | 1430.00 | 1430.00 | 1430.00 | 1430.00 | [illegible] |
| Maximum Payout Rs. | 1430.00 | 1430.00 | 1430.00 | 1430.00 | 1430.00 | 1430.00 | [illegible] |
| **Maximum Payout Rs. 10000** | | | | | | | |

| **Excess Rainfall** | **Cumulative for any three consecutive days** | | |
|---|---|---|---|
| | 1 Jan. to 31 Jan. | 1 Feb. to 28 Feb. | 1 Mar. to 31 Mar. |
| Trigger Rainfall (mm) | 20 | 20 | 20 |
| Exit Rainfall (mm) | 30 and above | 30 and above | 30 and above |
| Different Rainfall (mm) | 10 | 10 | 10 |
| Payout or Notional (Rs. per mm) Rs. 150 | 1500.00 | 1500.00 Payout Rs. per mm 150/- | 500.00 Payout Rs. per mm 50/- |
| Maximum Payout Rs. | 1500.00 | 1500.00 | 500.00 |
| **Maximum Payout Rs. 3500** | | | |

| **Frost loss index (Multiple Events)** | 15 Dec. to 15 Feb. |
|---|---|
| Trigger Temperature ($^0$C) | 7.0 |
| Exit Temperature ($^0$C) | 4.0 |
| Different Temperature ($^0$C) | 3.0 |
| Payout (Rs. per -1$^0$C) Rs. 500 | 1500.00 |
| Maximum Payout Rs. | 1500.00 |
| **Maximum Payout Rs. 1500** | |

रायपुर, दिनांक 19 अक्टूबर 2011

**विषय :—** राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना को रबी 2011-12 मौसम में कार्यान्वित करने बाबत्.

क्रमांक/4027/एफ-8-4/2011-12/रबी/14-2.—भारत सरकार, कृषि मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्र क्रमांक 13011/15/99/Credit-II दिनांक 16 जुलाई, 1999 तथा प्रशासनिक अनुमोदन क्रमांक 13011/04/2004/Credit-II दिनांक 10 मार्च, 2011 का संदर्भ लेते हुए छत्तीसगढ़ शासन सूचित करता है कि रबी 2011-12 मौसम में राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना सम्पूर्ण प्रदेश में कार्यान्वित की जावेगी.

2. **निम्न फसलों को अधिसूचित किया गया है :—**
1. गेहूं सिंचित 2. गेहूं असिंचित 3. चना 4. राई-सरसों 5. अलसी 6. आलू

3. **अधिसूचित क्षेत्र :**—सभी फसलों के लिये अधिसूचित क्षेत्र तहसील होगा. सभी फसलों के लिए अधिसूचित क्षेत्रों के जिलों के नाम एवं तहसील परिशिष्ट-1 में दर्शित है.

4. इस योजना में ऋणी किसान, अऋणी किसान, बटाईदार और काश्तकार कृषक भी भाग ले सकते हैं.

5. ऋणी किसान अनिवार्य रूप से और अऋणी किसान ऐच्छिक रूप से इस योजना में भाग ले सकते हैं.

6. 1 अक्टूबर, 2011 से 31 मार्च, 2012 तक अधिसूचित फसलों के लिए ली गई ऋण राशि रबी 2011-12 मौसम के लिए कवर किया जायेगा.

7. अऋणी किसान और लिये गये ऋण राशि से उच्च बीमा चाहने वाले ऋणी किसान के लिये बीमा करने की अंतिम तिथि 31-12-2011 होगी.

8. जिला सहकारी बैंक, ग्रामीण बैंक एवं व्यवसायिक बैंक से अधिसूचित फसलों की ऋण राशि का बीमा इस मौसम में किया जायेगा.

9. संबंधित बैंकों का नोडल शाखा नीचे दिये गये समय सारणी के अनुसार घोषणा-पत्र एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमि., क्षेत्रीय कार्यालय को प्रेषित करेंगे.

समय सारणी

| माह के वितरित ऋण | घोषणा-पत्र स्वीकार किये जाने की सीमा |
|---|---|
| अक्टूबर, 2011 | 30 नवम्बर, 2011 |
| नवम्बर, 2011 | 31 दिसम्बर, 2011 |
| दिसम्बर, 2011 | 31 जनवरी, 2012 |
| जनवरी, 2012 | 28 फरवरी, 2012 |
| फरवरी, 2012 | 31 मार्च, 2012 |
| मार्च, 2012 | 30 अप्रैल, 2012 (मौसम की अंतिम तिथि) |

10. शासन द्वारा उपज के आंकड़े भेजने की अंतिम तिथि 31-07-2012 होगी.

11. ऋणी किसान के लिए बीमित राशि लिये गये ऋण राशि तक व इसके अतिरिक्त निर्धारित उपज के मूल्य तक और इससे अधिक 150 प्रतिशत औसत उपज के मूल्य तक होंगे. लिये गये ऋण राशि और निर्धारित उपज के मूल्य तक सामान्य दर लागू होगा और उससे अधिक राशि के लिए वास्तविक दर लागू होगा. अऋणी किसान के लिए बीमित राशि निर्धारित उपज के मूल्य तक सामान्य दर लागू होगा एवं उससे ज्यादा 150 प्रतिशत औसत उपज के मूल्य तक वास्तविक दर लागू होगा.

12. **प्रीमियम में अनुदान :—** ऋणी एवं अऋणी लघु एवं सीमांत किसानों को प्रीमियम में 10 प्रतिशत अनुदान की पात्रता है और लघु एवं सीमांत किसानों के लिये समस्त बैंक के नोडल कार्यालय को प्रीमियम की 90 प्रतिशत राशि प्रेषित करनी होगी.

देय प्रीमियम के लिए मांग विकर्ष सहित घोषणा-पत्र एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमि., रायपुर को भेजना होगा.

13. **बैंक सर्विस चार्जेस :—** सभी बैंकों को ऋणी एवं अऋणी किसानों का बीमा करने के लिये कुल प्रीमियम राशि का 2.5 प्रतिशत बैंक सर्विस चार्जेस मौसम समाप्ति के पश्चात् प्रदान किया जायेगा.

14. **दावा गणना :—** दावा की गणना आयुक्त भू-अभिलेख, रायपुर द्वारा अधिसूचित क्षेत्र एवं अधिसूचित फसलों के लिये फसल कटाई प्रयोग पर आधारित उपज दर के आंकड़ों से किया जायेगा. शासन द्वारा या अन्य संस्थाओं द्वारा अनावारी, सूखा, बाढ़, अकाल घोषित होने पर दावा देय नहीं है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
**प्रदीप कुमार दवे,** उप-सचिव.

**राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना के अंतर्गत रबी 2011-12 मौसम में अधिसूचित तहसील एवं फसलों की सूची**

| क्र. | फसलों के नाम | जिलों की संख्या | अधिसूचित किये जाने वाले तहसीलों की संख्या |
|---|---|---|---|
| 1. | गेहूं सिंचित | 11 | 56 |
| 2. | गेहूं असिंचित | 05 | 20 |
| 3. | चना | 08 | 39 |
| 4. | अलसी | 10 | 36 |
| 5. | राई-सरसों | 12 | 37 |
| 6. | आलू | 02 | 07 |

परिशिष्ट-1

**राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना के अंतर्गत रबी 2011-12 हेतु फसलवार अधिसूचित की जाने वाली तहसीलों की सूची**

| क्र. (1) | जिला (2) | परिभाषित तहसीलें (3) |
|---|---|---|
| | | **फसल-गेहूं सिंचित ( 56 )** |
| 1. | रायपुर | 1. रायपुर |
| | | 2. बलौदाबाजार |
| | | 3. सिमगा |
| | | 4. भाटापारा |
| | | 5. आरंग |
| | | 6. पलारी |
| | | 7. तिल्दा |
| | धमतरी | 1. कुरूद |
| | दुर्ग | 1. दुर्ग |
| | | 2. पाटन |
| | | 3. गुंडरदेही |

| (1) | (2) | (3) | |
|---|---|---|---|
| | | 4. | धमधा |
| | | 5. | बेमेतरा |
| | | 6. | थानखमरिया |
| | | 7. | बेरला |
| | | 8. | साजा |
| | | 9. | नवागढ़ |
| | राजनांदगांव | 1. | राजनांदगांव |
| | | 2. | डोंगरगांव |
| | | 3. | खैरागढ़ |
| | | 4. | छुईखदान |
| | | 5. | डोंगरगढ़ |
| | कवर्धा | 1. | कवर्धा |
| | | 2. | बोड़ला |
| | | 3. | पंडरिया |
| | | 4. | सहसपुर लोहारा |
| | बिलासपुर | 1. | बिल्हा |
| | | 2. | मस्तूरी |
| | | 3. | तखतपुर |
| | | 4. | मुंगेली |
| | | 5. | पथरिया |
| | | 6. | लोरमी |
| | | 7. | कोटा |
| | | 8. | पेण्ड्रा रोड |
| | | 9. | बिलासपुर |
| | जांजगीर-चांपा | 1. | सक्ती |
| | सरगुजा | 1. | अंबिकापुर |
| | | 2. | लखनपुर |
| | | 3. | राजपुर |
| | | 4. | लुण्ड्रा |
| | | 5. | सीतापुर |
| | | 6. | सूरजपुर |
| | | 7. | ओड़गी |
| | | 8. | भैयाथान |
| | | 9. | रामानुजनगर |
| | | 10. | प्रतापपुर |
| | | 11. | रामचन्द्रपुर |
| | | 12. | बलरामपुर |
| | | 13. | वाड्रफनगर |
| | | 14. | शंकरगढ़ |
| | कोरिया | 1. | बैकुंठपुर |
| | | 2. | मनेन्द्रगढ़ |
| | | 3. | भरतपुर |

| (1) | (2) | (3) |
|---|---|---|
| | जशपुर | 1. बगीचा |
| | रायगढ़ | 1. पुसौर |
| | | 2. खरसिया |

**फसल-गेहूं असिंचित ( 20 )**

| | | |
|---|---|---|
| 2. | धमतरी | 1. धमतरी |
| | दुर्ग | 1. पाटन |
| | | 2. गुण्डरदेही |
| | | 3. धमधा |
| | | 4. डौंडीलोहारा |
| | | 5. बेमेतरा |
| | | 6. बेरला |
| | | 7. साजा |
| | | 8. नवागढ़ |
| | राजनांदगांव | 1. राजनांदगांव |
| | | 2. खैरागढ़ |
| | | 3. छुईखदान |
| | | 4. डोंगरगढ़ |
| | कबीरधाम | 1. कवर्धा |
| | | 2. पंडरिया |
| | | 3. सहसपुर लोहारा |
| | बिलासपुर | 1. मुंगेली |
| | | 2. पथरिया |
| | | 3. तखतपुर |
| | | 4. लोरमी |

**फसल-चना ( 39 )**

| | | |
|---|---|---|
| 3. | रायपुर | 1. रायपुर |
| | | 2. सिमगा |
| | | 3. भाटापारा |
| | | 4. आरंग |
| | | 5. अभनपुर |
| | | 6. पलारी |
| | | 7. तिल्दा |
| | धमतरी | 1. धमतरी |
| | | 2. नगरी |
| | | 3. कुरूद |
| | | 4. मगरलोड |

| (1) | (2) | (3) |
|---|---|---|
| | दुर्ग | 1. दुर्ग |
| | | 2. पाटन |
| | | 3. गुंडरदेही |
| | | 4. धमधा |
| | | 5. बालौद |
| | | 6. गुरूर |
| | | 7. डौंडीलोहारा |
| | | 8. बेमेतरा |
| | | 9. थानखमरिया |
| | | 10. बेरला |
| | | 11. साजा |
| | | 12. नवागढ़ |
| | राजनांदगांव | 1. राजनांदगांव |
| | | 2. छुरिया |
| | | 3. डोंगरगांव |
| | | 4. खैरागढ़ |
| | | 5. छुईखदान |
| | | 6. डोंगरगढ़ |
| | कबीरधाम | 1. कवर्धा |
| | | 2. बोड़ला |
| | | 3. पंडरिया |
| | | 4. सहसपुर लोहारा |
| | बिलासपुर | 1. तखतपुर |
| | | 2. मुंगेली |
| | | 3. पथरिया |
| | | 4. लोरमी |
| | जशपुर | 1. पत्थलगांव |
| | सरगुजा | 1. अंबिकापुर |
| | **फसल-अलसी ( 36 )** | |
| 4. | धमतरी | 1. नगरी |
| | | 2. कुरूद |
| | दुर्ग | 1. पाटन, |
| | | 2. बालौद |
| | | 3. गुरूर |
| | | 4. डौंडीलोहारा |
| | | 5. डौंडी |
| | | 6. बेमेतरा |
| | | 7. नवागढ़ |

| (1) | (2) | (3) |
|---|---|---|
| | राजनांदगांव | 1. राजनांदगांव |
| | | 2. छुरिया |
| | | 3. डोंगरगांव |
| | | 4. खैरागढ़ |
| | | 5. छुईखदान |
| | | 6. डोंगरगढ़ |
| | | 7. मोहला |
| | | 8. अंबागढ़ चौकी |
| | कबीरधाम | 1. पंडरिया |
| | बिलासपुर | 1. कोटा |
| | | 2. मुंगेली |
| | जांजगीर-चांपा | 1. सक्ती |
| | | 2. चांपा |
| | | 3. बलौदा |
| | कोरबा | 1. करतला |
| | | 2. पाली |
| | जशपुर | 1. पत्थलगांव |
| | सरगुजा | 1. अंबिकापुर |
| | | 2. लखनपुर |
| | | 3. राजपुर |
| | | 4. लुण्ड्रा |
| | | 5. रामानुजनगर |
| | | 6. प्रतापपुर |
| | | 7. रामचन्द्रपुर |
| | | 8. बलरामपुर |
| | | 9. वाड्रफनगर |
| | कोरिया | 1. बैकुण्ठपुर |

**फसल-राई-सरसों ( 37 )**

| (1) | (2) | (3) |
|---|---|---|
| 5. | धमतरी | 1. धमतरी |
| | | 2. कुरूद |
| | दुर्ग | 1. पाटन |
| | कबीरधाम | 1. बोड़ला |
| | | 2. पण्डरिया |
| | बस्तर | 1. बास्तानार |
| | | 2. दरभा |

| (1) | (2) | (3) |
|---|---|---|
| | कांकेर | 1. अंतागढ़ |
| | दंतेवाड़ा | 1. कटेकल्याण |
| | बिलासपुर | 1. पेण्ड्रारोड |
| | | 2. पेण्ड्रा |
| | कोरबा | 1. पोड़ीउपरोड़ा |
| | सरगुजा | 1. अंबिकापुर |
| | | 2. लखनपुर |
| | | 3. उदयपुर |
| | | 4. राजपुर |
| | | 5. लुण्ड्रा |
| | | 6. सीतापुर |
| | | 7. बतौली |
| | | 8. मैनपाट |
| | | 9. ओड़गी |
| | | 10. रामानुजनगर |
| | | 11. प्रेमनगर |
| | | 12. प्रतापपुर |
| | | 13. रामचन्द्रपुर |
| | | 14. बलरामपुर |
| | | 15. वाड्रफनगर |
| | | 16. कुसमी |
| | | 17. शंकरगढ़ |
| | कोरिया | 1. सोनहत |
| | | 2. बैकुंठपुर |
| | | 3. मनेन्द्रगढ़ |
| | | 4. भरतपुर |
| | | 5. खड़गवां |
| | रायगढ़ | 1. लैलूंगा |
| | जशपुर | 1. मनोरा |
| | | 2. बगीचा |
| | **फसल-आलू (7)** | |
| 6. | सरगुजा | 1. अंबिकापुर |
| | | 2. लखनपुर |
| | | 3. मैनपाट |
| | | 4. सूरजपुर |
| | | 5. भैयाथान |
| | | 6. प्रतापपुर |
| | जशपुर | 1. बगीचा |

# राजस्व विभाग

## कार्यालय, कलेक्टर, जिला सरगुजा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

सरगुजा, दिनांक 15 जुलाई 2011

रा. प्र. क्र. 06/अ-82/2008-09.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा धारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

| भूमि का वर्णन | | | | धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी | सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन |
|---|---|---|---|---|---|
| जिला | तहसील | नगर/ग्राम | लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| सरगुजा | सूरजपुर | कुरूवां | 0.45 | महाप्रबंधक, एस. ई. सी. एल. विश्रामपुर. | रेहर-गायत्री परियोजना को जाने वाली पहुंच मार्ग निर्माण हेतु. |

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, सूरजपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
**जी. एस. धनंजय,** कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

## कार्यालय, कलेक्टर, जिला कोरबा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

कोरबा, दिनांक 4 नवम्बर 2011

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 01/अ-82/2011-12.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

| भूमि का वर्णन | | | | धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी | सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन |
|---|---|---|---|---|---|
| जिला | तहसील | नगर/ग्राम | लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| कोरबा | पाली | रैंकी | 0.57 | महाप्रबंधक, एनटीपीसी | रेल पथ पर ओवरब्रिज निर्माण हेतु. |

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी/भू-अर्जन अधिकारी, कटघोरा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

कोरबा, दिनांक 4 नवम्बर 2011

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 02/अ-82/2011-12.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

| भूमि का वर्णन | | | | धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी | सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन |
|---|---|---|---|---|---|
| जिला | तहसील | नगर/ग्राम | लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| कोरबा | पाली | सिरली | 1.64 | महाप्रबंधक, एनटीपीसी | रेल पथ पर ओव्हर ब्रिज निर्माण हेतु. |

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी/भू-अर्जन अधिकारी, कटघोरा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
**आर. पी. एस. त्यागी**, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

## कार्यालय, कलेक्टर, जिला बस्तर, जगदलपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन
## राजस्व विभाग

बस्तर, दिनांक 2 नवम्बर 2011

क्रमांक क/भू-अर्जन/01/अ-82/2011-12.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

| भूमि का वर्णन | | | | धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी | सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन |
|---|---|---|---|---|---|
| जिला | तहसील | नगर/ग्राम | लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| बस्तर | जगदलपुर | करनपुर | 0.11 | कार्यपालन अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग सेतु निर्माण संभाग, जगदलपुर. | बेलगांव-नगरनार मार्ग के कि. मी. 1/2 पर इंद्रावती नदी सेतु के पहुंच मार्ग निर्माण हेतु. |

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व)/भू-अर्जन अधिकारी, जगदलपुर अथवा कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग, सेतु निर्माण संभाग, जगदलपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

बस्तर, दिनांक 2 नवम्बर 2011

क्रमांक क/भू-अर्जन/02/अ-82/2011-12.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

## अनुसूची

| भूमि का वर्णन | | | | धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी | सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन |
|---|---|---|---|---|---|
| जिला | तहसील | नगर/ग्राम | लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| बस्तर | जगदलपुर | कस्तुरी | 0.17 | कार्यपालन अभियन्ता, टी.डी.पी.पी. जल संसा. संभाग, जगदलपुर. | भालुगुड़ा उद्वहन सिंचाई योजना अन्तर्गत नहर निर्माण हेतु. |

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व)/भू-अर्जन अधिकारी, जगदलपुर अथवा कार्यपालन अभियंता, टी.डी.पी.पी., जल संसाधन संभाग, जगदलपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
**अन्बलगन पी.**, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

# कार्यालय, कलेक्टर, जिला उत्तर बस्तर कांकेर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

कांकेर, दिनांक 2 नवम्बर 2011

क्रमांक/5999/भू-अर्जन/कले./2011.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबन्ध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उनकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबन्ध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

## अनुसूची

| भूमि का वर्णन | | | | धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी | सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन |
|---|---|---|---|---|---|
| जिला | तहसील | नगर/ग्राम | लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| उत्तर बस्तर कांकेर | कांकेर | मोहपुर | 0.98 | कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन, उत्तर बस्तर कांकेर. | हटकुल व्यपवर्तन योजना हेतु. |

कांकेर, दिनांक 2 नवम्बर 2011

**क्रमांक/6002/भू-अर्जन/कले./2011.**—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबन्ध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उनकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबन्ध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

## अनुसूची

| भूमि का वर्णन | | | | धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी | सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन |
|---|---|---|---|---|---|
| जिला | तहसील | नगर/ग्राम | लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| उत्तर बस्तर कांकेर | कांकेर | सिंगारभाठ | 0.70 | कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन, उत्तर बस्तर कांकेर. | हटकुल व्यपवर्तन योजना हेतु. |

कांकेर, दिनांक 2 नवम्बर 2011

क्रमांक/6005/भू-अर्जन/कले./2011.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबन्ध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उनकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबन्ध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

## अनुसूची

| भूमि का वर्णन | | | | धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी | सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन |
|---|---|---|---|---|---|
| जिला | तहसील | नगर/ग्राम | लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| उत्तर बस्तर कांकेर | कांकेर | पत्थर्री | 0.94 | पुलिस अधीक्षक, उत्तर बस्तर कांकेर. | जंगलवार कालेज हेतु |

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
**एन. के. खाखा,** कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

## कार्यालय, कलेक्टर, जिला जांजगीर-चांपा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

जांजगीर-चांपा, दिनांक 9 नवम्बर 2011

क्रमांक 26 क/भू-अर्जन/2011.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

### अनुसूची

| भूमि का वर्णन | | | | धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी | सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन |
|---|---|---|---|---|---|
| जिला | तहसील | नगर/ग्राम | लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| जांजगीर-चांपा | जांजगीर | सरखों प.ह.नं. 49 | 2.61 | कार्यपालन यंत्री (सिविल), भू-अर्जन 2×500 मे. वा. मड़वा तेन्दूभाठा ताप विद्युत परियोजना जांजगीर-चांपा (छ.ग.) | 2×500 मेगावाट मड़वा तेन्दूभाठा ताप विद्युत परियोजना के अन्तर्गत रेलपथ निर्माण हेतु. (पूरक प्रकरण) |

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 9 नवम्बर 2011

क्रमांक 27 क/भू-अर्जन/2011.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

### अनुसूची

| भूमि का वर्णन | | | | धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी | सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन |
|---|---|---|---|---|---|
| जिला | तहसील | नगर/ग्राम | लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| जांजगीर-चांपा | जांजगीर | तेन्दूभाठा प.ह.नं. 49 | 0.27 | कार्यपालन यंत्री (सिविल), भू-अर्जन 2×500 मे. वा. मड़वा तेन्दूभाठा ताप विद्युत परियोजना जांजगीर-चांपा (छ.ग.) | 2×500 मेगावाट मड़वा तेन्दूभाठा ताप विद्युत परियोजना के अन्तर्गत राखड़ पाइप लाइन निर्माण हेतु. (पूरक प्रकरण) |

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 9 नवम्बर 2011

क्रमांक 29 क/भू-अर्जन/2011.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

| भूमि का वर्णन | | | | धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी | सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन |
|---|---|---|---|---|---|
| जिला | तहसील | नगर/ग्राम | लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| जांजगीर-चांपा | जांजगीर | कन्हाईबंद प.ह.नं. 50 | 6.92 | कार्यपालन यंत्री (सिविल), भू-अर्जन 2×500 मे. वा. मड़वा तेन्दूभाठा ताप विद्युत परियोजना जांजगीर-चांपा (छ.ग.) | 2×500 मेगावाट मड़वा तेन्दूभाठा ताप विद्युत परियोजना के अन्तर्गत रेलपथ निर्माण हेतु. (पूरक प्रकरण) |

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
**ब्रजेश चंद्र मिश्र**, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

## कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायगढ़, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

रायगढ़, दिनांक 3 नवम्बर 2011

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 12/अ-82/2010-11.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

| भूमि का वर्णन | | | | धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी | सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन |
|---|---|---|---|---|---|
| जिला | तहसील | नगर/ग्राम | लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| रायगढ़ | रायगढ़ | गोरखा प. ह. नं. 14 | 7.382 | मुख्य महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र, रायगढ़. | औद्योगिक प्रयोजनार्थ भू-अर्जन. |

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, रायगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 3 नवम्बर 2011

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 13/अ-82/2011-12.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

## अनुसूची

| भूमि का वर्णन | | | | धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी | सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन |
|---|---|---|---|---|---|
| जिला | तहसील | नगर/ग्राम | लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| रायगढ़ | रायगढ़ | कलमी प. ह. नं. 14 | 108.283 | मुख्य महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र, रायगढ़. | औद्योगिक प्रयोजनार्थ भू-अर्जन. |

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, रायगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
**अमित कटारिया,** कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

---

## कार्यालय, कलेक्टर, जिला सरगुजा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

सरगुजा, दिनांक 15 जुलाई 2011

रा.प्र.क्र. 06/अ-82/2008-09.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

### अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-सरगुजा
- (ख) तहसील-सूरजपुर
- (ग) नगर/ग्राम-कुरूवां, प. ह. नं. 44
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.45 हेक्टेयर

| | खसरा नम्बर | रकबा (हेक्टेयर में) |
|---|---|---|
| | (1) | (2) |
| | 2785 | 0.05 |
| | 2848/2 | 0.09 |
| | 2848/1 | 0.04 |
| | 2853 | 0.27 |
| योग | 4 | 0.45 |

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-रेहर-गायत्री परियोजना के पहुंच मार्ग निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, सूरजपुर के न्यायालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
**जी. एस. धनंजय,** कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

# कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ शासन, राजस्व विभाग

रायपुर, दिनांक 11 नवम्बर 2011

क्रमांक क/अ.वि.अ./भू-अर्जन/रा.प्र.क्र. 1/अ-82/2010-11.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
   (क) जिला-रायपुर
   (ख) तहसील-बलौदा बाजार
   (ग) नगर/ग्राम-अमलकुण्डा, प. ह. नं. 25
   (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.677 हेक्टेयर

| | खसरा नम्बर | रकबा (हेक्टेयर में) |
|---|---|---|
| | (1) | (2) |
| | 1028 | 0.024 |
| | 1027/1 | 0.015 |
| | 1027/2 | 0.009 |
| | 1026/3 | 0.015 |
| | 1030/1 | 0.057 |
| | 1031 | 0.040 |
| | 1032 | 0.148 |
| | 1033 | 0.172 |
| | 1034/1 | 0.024 |
| | 1034/2 | 0.036 |
| | 1034/3 | 0.040 |
| | 1034/4 | 0.045 |
| | 1035 | 0.048 |
| | 1036 | 0.004 |
| योग | 14 | 0.677 |

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है-चिचिरदा-ताराशिव मार्ग पर खोरसी नाला में निर्माणाधीन पुल के अमलकुण्डा में पुल एवं पहुंच मार्ग हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), बलौदा बाजार के कार्यालय में किया जा सकता है.

रायपुर, दिनांक 11 नवम्बर 2011

क्रमांक क/अ.वि.अ./भू-अर्जन/रा.प्र.क्र. 2/अ-82/2010-11.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
   (क) जिला-रायपुर
   (ख) तहसील-बलौदा बाजार
   (ग) नगर/ग्राम-कसियारा, प. ह. नं. 27
   (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.534 हेक्टेयर

| | खसरा नम्बर | रकबा (हेक्टेयर में) |
|---|---|---|
| | (1) | (2) |
| | 57 | 0.061 |
| | 58 | 0.142 |
| | 61 | 0.177 |
| | 62/1 | 0.008 |
| | 60/376 | 0.146 |
| योग | 5 | 0.534 |

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है-चिचिरदा-ताराशिव मार्ग पर खोरसी नाला में निर्माणाधीन पुल के कसियारा में पुल एवं पहुंच मार्ग हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), बलौदा बाजार के कार्यालय में किया जा सकता है.

रायपुर, दिनांक 14 नवम्बर 2011

क्रमांक/1508/भू.अ./अ.वि.अ./प्र.क्र. 22 अ./82 वर्ष 2010-11.— चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-रायपुर
(ख) तहसील-आरंग
(ग) नगर/ग्राम-बरौदा, प. ह. नं. 72/15
(घ) लगभग क्षेत्रफल-7.53 हेक्टेयर

| | खसरा नम्बर | रकबा (हेक्टेयर में) |
|---|---|---|
| | (1) | (2) |
| | 1430 | 1.27 |
| | 1432 | 1.85 |
| | 1497 | 0.54 |
| | 1499 | 0.43 |
| | 1539 | 1.21 |
| | 1629 | 0.13 |
| | 1760 | 0.40 |
| | 1815 | 0.15 |
| | 1816 | 0.21 |
| | 1820 | 0.10 |
| | 1921 | 0.88 |
| | 1955 | 0.36 |
| योग | 12 | 7.53 |

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है-नई राजधानी में रोड़ क्रमांक 4 एवं विकास कार्य हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी, आरंग-अभनपुर, मुख्यालय रायपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

रायपुर, दिनांक 14 नवम्बर 2011

क्रमांक/1510/क/वा./भू.अ./अ.वि.अ./प्र.क्र. 44 अ./82 वर्ष 2010-11.— चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-रायपुर
(ख) तहसील-अभनपुर
(ग) नगर/ग्राम-भेलवाडीह, प. ह. नं. 22
(घ) लगभग क्षेत्रफल-1.41 हेक्टेयर

| | खसरा नम्बर | रकबा (हेक्टेयर में) |
|---|---|---|
| | (1) | (2) |
| | 493 | 0.96 |
| | 502 | 0.45 |
| योग | 2 | 1.41 |

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है-नया रायपुर विकास कार्य अंतर्गत बाटनिकल पार्क निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी, आरंग-अभनपुर, मुख्यालय रायपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

रायपुर, दिनांक 14 नवम्बर 2011

क्रमांक/1511/क/वा./भू.अ./अ.वि.अ./प्र.क्र. 15 अ./82 वर्ष 2010-11.— चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-रायपुर
(ख) तहसील-आरंग
(ग) नगर/ग्राम-परसदा, प. ह. नं. 21
(घ) लगभग क्षेत्रफल-2.130 हेक्टेयर

| खसरा नम्बर (1) | रकबा (हेक्टेयर में) (2) |
|---|---|
| 511 | 0.050 |
| 512 | 0.100 |
| 547 | 1.100 |
| 548 | 0.030 |
| 621/1 | 0.200 |
| 624 | 0.090 |
| 625/2 | 0.320 |
| 634 | 0.240 |
| योग 8 | 2.130 |

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है-नया रायपुर विकास कार्य अंतर्गत विद्युत उपकेन्द्र निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी, आरंग-अभनपुर, मुख्यालय रायपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
**रोहित यादव,** कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

## कार्यालय, कलेक्टर, जिला बिलासपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

बिलासपुर, दिनांक 9 अगस्त 2011

प्र. क्र. 8/अ-82/2007-08.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

### अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-बिलासपुर
(ख) तहसील-मरवाही
(ग) नगर/ग्राम-कुम्हारी
(घ) लगभग क्षेत्रफल-35.40 एकड़

| खसरा नम्बर (1) | रकबा (एकड़ में) (2) |
|---|---|
| 122 | 0.18 |
| 123/1 | 0.38 |
| 1339 | 0.08 |
| 425/5 | 0.36 |
| 1104 | 0.30 |
| 1105 | 0.30 |
| 1131/2 | 0.15 |
| 1147/2 | 0.58 |
| 425/3 | 0.27 |
| 1252 | 0.03 |
| 1169 | 0.08 |
| 585 | 0.74 |
| 1149/2 | 0.10 |
| 462 | 0.21 |
| 467 | 0.02 |
| 1129 | 0.72 |
| 417/1 | 0.54 |
| 1250/2 | 0.26 |
| 1254 | 0.20 |
| 1255 | 0.07 |
| 472/4 | 0.46 |
| 33/2, 34 | 0.03 |
| 1107 | 0.17 |
| 1132/2 | 1.03 |
| 1167/1 | 0.46 |
| 1167/3 | 0.52 |
| 1167/4 | 0.30 |
| 1340 | 0.13 |
| 1336 | 0.43 |
| 19/1 | 0.58 |
| 21/2 | 0.01 |
| 1265 | 0.40 |
| 522/1 | 0.10 |
| 17/1 | 0.62 |
| 1154 | 0.29 |
| 470/1 | 0.07 |
| 471/1 | 0.09 |
| 420/1 | 0.23 |
| 43 | 0.70 |
| 1264 | 0.51 |
| 1021 | 0.11 |
| 1045, 1046/2 | 0.17 |
| 1046/1 | 0.17 |
| 928 | 0.02 |

| (1) | (2) |
| --- | --- |
| 1106 | 0.16 |
| 1147/1 | 0.22 |
| 44, 45, 46/2 | 0.41 |
| 1148 | 0.22 |
| 1150/1 | 0.04 |
| 32/1 | 0.08 |
| 1130/2 | 0.28 |
| 420/2 | 0.11 |
| 1007/3 | 0.40 |
| 1013 | 0.32 |
| 1167/2 | 0.17 |
| 1266/1 | 0.43 |
| 110 | 0.02 |
| 1038/2 | 0.05 |
| 1040/1 | 0.14 |
| 1015 | 0.26 |
| 1251 | 0.26 |
| 1155/2 | 0.08 |
| 1167/2 | 0.14 |
| 420/3 | 0.11 |
| 31/2 | 0.59 |
| 19/3 | 0.57 |
| 1145, 1146 | 0.68 |
| 920/1 | 0.22 |
| 1039 | 0.07 |
| 1037/2 | 0.25 |
| 1014/1 | 0.14 |
| 1018 | 0.14 |
| 1041/1 | 0.22 |
| 1017/2 | 0.28 |
| 1012 | 0.08 |
| 1008 | 0.31 |
| 1168/1 | 0.34 |
| 1335/1 | 0.14 |
| 1270 | 0.09 |
| 1272 | 0.34 |
| 1269 | 0.20 |
| 518 | 0.25 |
| 111 | 0.30 |
| 120/1, 121/1 | 0.40 |
| 112/2 | 0.05 |
| 19/2 | 1.26 |
| 32/2 | 0.80 |
| 1152/2 | 0.29 |
| 1153/1 | 0.02 |
| 1149/1 | 0.20 |
| 1016 | 0.18 |
| 1025 | 0.29 |
| 1026 | 0.02 |
| 1027, 1028 | 0.57 |
| 1029 | 0.11 |
| 1250/1 | 0.23 |
| 473 | 0.30 |
| 422/2 | 0.23 |
| 419 | 0.16 |
| 37 | 0.19 |
| 38 | 0.70 |
| 80/2 | 0.06 |
| 1007/1 | 0.39 |
| 519 | 0.21 |
| 520 | 0.26 |
| 425/2 | 0.34 |
| 418/1 | 0.09 |
| 1337 | 0.14 |
| 1262, 1263 | 0.42 |
| 1338/1 | 0.34 |
| 521 | 0.20 |
| 512 | 0.10 |
| 18/1 | 0.02 |
| 468 | 0.23 |
| 469 | 0.20 |
| 112/1 | 0.14 |
| 109/1 | 0.30 |
| 372/1, 372/2 | 0.028 |
| 513 | 0.70 |
| 35/1 | 0.08 |
| 46/1 | 0.70 |
| 101/1 | 0.38 |
| 82/2 | 0.23 |
| 1017/1 | 0.58 |
| 5. 18/2 | 0.55 |
| योग 125 | 35.40 |

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-कु[illegible] व्यपवर्तन योजना के नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), पेण्ड्रारोड के कार्यालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 3 सितम्बर 2011

क्रमांक 2/अ-82/2008-09.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किय जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बिलासपुर
- (ख) तहसील-मरवाही
- (ग) नगर/ग्राम-धरहर, प. ह. नं. 3
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-5.70 एकड़

| | खसरा नम्बर | रकबा (एकड़ में) |
|---|---|---|
| | (1) | (2) |
| | 354/5 | 0.30 |
| | 195/1 | 0.35 |
| | 4/3 ख | 0.35 |
| | 17/3 | 0.13 |
| | 262/2 | 1.57 |
| | 343 | 0.10 |
| | 194/2 | 0.10 |
| | 349/2 | 0.70 |
| | 350/6 | 0.24 |
| | 350/9 | 0.30 |
| | 353/2 | 0.10 |
| | 323/2 | 0.60 |
| | 349/1 | 0.20 |
| | 309 | 0.10 |
| | 1/18 | 0.56 |
| योग | 15 | 5.70 |

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-गुजरनाला जलाशय योजना शीर्ष एवं नहर कार्य हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), पेण्ड्रारोड के कार्यालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 3 सितम्बर 2011

क्रमांक 5/अ-82/2009-10.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बिलासपुर
- (ख) तहसील-मरवाही
- (ग) नगर/ग्राम-खुरपा, प. ह. नं. 11
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-11.98 एकड़

| | खसरा नम्बर | रकबा (एकड़ में) |
|---|---|---|
| | (1) | (2) |
| | 1/2 | 0.39 |
| | 30/1 ख | 1.50 |
| | 1/11 | 0.39 |
| | 5/4 | 3.95 |
| | 5/6 | 0.48 |
| | 5/7 | 0.35 |
| | 5/3 | 0.84 |
| | 5/5 | 0.83 |
| | 5/2 | 0.25 |
| | 39/1 | 0.51 |
| | 39/2 | 0.51 |
| | 39/3 | 0.50 |
| | 1/8 | 1.48 |
| योग | | 11.98 |

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-गुजरनाला जलाशय योजना शीर्ष कार्य हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), पेण्ड्रारोड के कार्यालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 13 सितम्बर 2011

क्रमांक 12/अ-82/2010-11.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बिलासपुर (छ.ग.)
- (ख) तहसील-कोटा
- (ग) नगर/ग्राम-नवागांव, प. ह. नं. 07
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.10 एकड़

| | खसरा नम्बर (1) | रकबा (एकड़ में) (2) |
|---|---|---|
| | 1002/1 | 0.06 |
| | 1021 | 0.11 |
| | 1023/2 | 0.05 |
| | 1025/1 | 0.14 |
| | 1025/4 | 0.14 |
| | 1005/1 | 0.01 |
| | 1023/1 | 0.11 |
| | 1011 | 0.06 |
| | 1020/1 | 0.14 |
| | 1003/1 | 0.08 |
| | 1010 | 0.05 |
| | 1006 | 0.07 |
| योग | | 1.10 |

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-आमापारा व्यपवर्तन योजना नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.), कोटा के कार्यालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 19 अक्टूबर 2011

क्रमांक 01/अ-82/2009-10.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बिलासपुर
- (ख) तहसील-मरवाही
- (ग) नगर/ग्राम-देवरीडांड़, प. ह. नं. 10
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-2.10 एकड़

| | खसरा नम्बर (1) | रकबा (एकड़ में) (2) |
|---|---|---|
| | 353/12 | 2.10 |
| योग | 1 | 2.10 |

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-कुम्हारी व्यपवर्तन योजना शीर्ष कार्य हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), पेण्ड्रारोड के कार्यालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 20 अक्टूबर 2011

क्रमांक 1/अ-82/2010-11.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बिलासपुर
- (ख) तहसील-पेण्ड्रारोड
- (ग) नगर/ग्राम-गांगपुर
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-21.08 एकड़

| खसरा नम्बर | रकबा (एकड़ में) |
|---|---|
| (1) | (2) |
| 137 | 0.58 |
| 142 | 0.18 |
| 143/2 | 0.28 |
| 159 | 0.71 |
| 160 | 0.07 |
| 185 | 1.03 |
| 194/2 | 0.51 |
| 189/2 | 0.30 |
| 191 | 1.00 |
| 134 | 0.46 |
| 140 | 1.14 |
| 187/2, 188/2 | 0.63 |
| 157/2 | 0.10 |
| 158/2 | 0.12 |
| 187/3, 188/3 | 1.05 |
| 135/2 | 1.04 |
| 187/1, 188/1 | 0.75 |
| 148 | 0.98 |
| 156 | 0.16 |
| 151 | 0.74 |
| 194/1 | 0.08 |
| 195 | 0.05 |
| 196 | 0.88 |
| 204 | 0.36 |
| 211 | 2.19 |
| 136 | 0.03 |
| 138 | 0.04 |
| 141 | 0.24 |
| 210 | 0.20 |
| 157/3 | 0.07 |
| 187/4, 188/4 | 1.45 |
| 139 | 1.00 |
| 186 | 0.20 |
| 157/1 | 0.39 |
| 158/1 | 0.10 |
| 149 | 0.92 |
| 132/1 ख | 0.50 |
| 135/1 | 0.22 |

| | (1) | (2) |
|---|---|---|
| | 135/3 | 0.33 |
| योग | 39 | 21.08 |

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-दर्री व्यपवर्तन योजना के डूब क्षेत्र हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), पेण्ड्रारोड के कार्यालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 20 अक्टूबर 2011

क्रमांक 9/अ-82/2010-11.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

## अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बिलासपुर
- (ख) तहसील-पेण्ड्रारोड
- (ग) नगर/ग्राम-बरवासन
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-2.48 एकड़

| खसरा नम्बर | रकबा (एकड़ में) |
|---|---|
| (1) | (2) |
| 1/2 | 0.17 |
| 2/2 | 0.17 |
| 2/6 | 0.17 |
| 2/7 | 0.17 |
| 3 | 0.39 |
| 4/2 | 0.09 |
| 4/3 | 0.08 |
| 35 | 0.16 |
| 36/1 | 0.16 |
| 38 | 0.41 |
| 54/1 | 0.13 |
| 54/2 | 0.12 |
| 55/4 | 0.20 |

| (1) | (2) |
|---|---|
| 55/5 | 0.06 |
| योग 14 | 2.48 |

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-दर्री व्यपवर्तन योजना के नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), पेण्ड्रारोड के कार्यालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 20 अक्टूबर 2011

क्रमांक 10/अ-82/2010-11.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बिलासपुर
- (ख) तहसील-पेण्ड्रारोड
- (ग) नगर/ग्राम-खैरझिटी
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-3.88 एकड़

| खसरा नम्बर (1) | रकबा (एकड़ में) (2) |
|---|---|
| 225/4 | 0.17 |
| 225/3 | 0.17 |
| 235 | 0.43 |
| 162/1 | 0.37 |
| 160 | 0.38 |
| 238 | 0.17 |
| 225/5 | 0.17 |
| 162/2, 163/1 | 0.02 |
| 164 | 0.51 |
| 166 | 0.22 |
| 167 | 0.08 |
| 225/2 | 0.17 |
| 155 | 0.03 |
| 225/1 | 0.18 |
| 154 | 0.28 |
| 240 | 0.09 |
| 151 | 0.09 |
| 152 | 0.35 |
| योग 16 | 3.88 |

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-दर्री व्यपवर्तन योजना नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), पेण्ड्रारोड के कार्यालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 20 अक्टूबर 2011

क्रमांक 11/अ-82/2010-11.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बिलासपुर
- (ख) तहसील-पेण्ड्रारोड
- (ग) नगर/ग्राम-पड़खुरी
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-2.44 एकड़

| खसरा नम्बर (1) | रकबा (एकड़ में) (2) |
|---|---|
| 242/2 | 0.42 |
| 242/3 | 0.22 |
| 222/9 | 0.02 |
| 242/1 | 0.20 |
| 241/1 | 0.40 |
| 221 | 0.40 |
| 220 | 0.41 |

| | (1) | (2) |
|---|---|---|
| | 219 | 0.37 |
| योग | 8 | 2.44 |

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-दर्री व्यपवर्तन योजना के मुख्य नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), पेण्ड्रारोड के कार्यालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 24 अक्टूबर 2011

क्रमांक 04/अ-82/2009-10.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

## अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बिलासपुर
- (ख) तहसील-मरवाही
- (ग) नगर/ग्राम-सिवनी, प. ह. नं. 2
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.29 एकड़

| खसरा नम्बर<br>(1) | रकबा (एकड़ में)<br>(2) |
|---|---|
| 841/1 | 0.14 |
| 842/1 | 0.12 |
| 841/2 | 0.13 |
| 842/2 | 0.12 |
| 845 | 0.25 |
| 692/2 | 0.13 |
| 66/2 | 0.28 |
| 800/5 | 0.04 |
| 12/2 | 0.08 |
| योग 9 | 1.29 |

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-गूजरनाला जलाशय योजना नहर निर्माण कार्य हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), पेण्ड्रारोड के कार्यालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 24 अक्टूबर 2011

क्रमांक 23/अ-82/2006-07.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

## अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बिलासपुर
- (ख) तहसील-मरवाही
- (ग) नगर/ग्राम-कटरा
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.63 एकड़

| खसरा नम्बर<br>(1) | रकबा (एकड़ में)<br>(2) |
|---|---|
| 515 | 0.13 |
| 510 | 0.50 |
| योग | 0.63 |

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-कटरा जलाशय योजना नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), पेण्ड्रारोड के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
**रामसिंह,** कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

## कार्यालय, कलेक्टर, जिला राजनांदगांव, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

राजनांदगांव, दिनांक 14 अक्टूबर 2011

क्रमांक/7421/भू-अर्जन/2011.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

### अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-राजनांदगांव
- (ख) तहसील-अं. चौकी
- (ग) नगर/ग्राम-बहोरनभेड़ी, प. ह. नं. 10
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-2.995 हेक्टेयर

| | खसरा नम्बर | रकबा (हेक्टेयर में) |
|---|---|---|
| | (1) | (2) |
| | 204/1 | 0.004 |
| | 203/1 | 0.004 |
| | 407/4 | 0.194 |
| | 247 | 0.194 |
| | 251/3 | 0.109 |
| | 279/2 | 0.069 |
| | 204/2 | 0.101 |
| | 318 | 0.065 |
| | 372 | 0.220 |
| | 246 | 0.129 |
| | 319 | 0.036 |
| | 320 | 0.081 |
| | 321 | 0.057 |
| | 328 | 0.041 |
| | 330 | 0.262 |
| | 331 | 0.121 |
| | 371/2 | 0.028 |
| | 403/2 | 0.081 |
| | 277 | 0.073 |
| | 408 | 0.016 |
| | 322 | 0.004 |
| | 370 | 0.141 |
| | 403/1 | 0.121 |
| | 402/2 | 0.004 |
| | 410/2 | 0.004 |
| | 215/5 | 0.105 |
| | 248/1 | 0.041 |
| | 248/2 | 0.016 |
| | 251/1 | 0.012 |
| | 216/11 | 0.012 |
| | 279/1 | 0.065 |
| | 316/3 | 0.079 |
| | 316/4 | 0.077 |
| | 371/3 | 0.008 |
| | 332/3 | 0.008 |
| | 409/4 | 0.065 |
| | 409/3 | 0.093 |
| | 411/2 | 0.004 |
| | 409/1 | 0.093 |
| | 368/1 | 0.012 |
| | 329/3 | 0.004 |
| | 371/6 | 0.004 |
| | 407/3 | 0.012 |
| | 345/4 | 0.049 |
| | 316/1 | 0.036 |
| | 216/12 | 0.041 |
| योग | 46 | 2.995 |

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-मोंहड़ परियोजना के नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी, मोहला के कार्यालय में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 14 अक्टूबर 2011

क्रमांक/7422/भू-अर्जन/2011.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

## अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-राजनांदगांव

(ख) तहसील-अं. चौकी

(ग) नगर/ग्राम-खुरसीटिकुर, प. ह. नं. 19

(घ) लगभग क्षेत्रफल-1.030 हेक्टेयर

| खसरा नम्बर | रकबा (हेक्टेयर में) |
|---|---|
| (1) | (2) |
| 129 | 0.061 |
| 129/4 | 0.380 |
| 131 | 0.064 |
| 134/12 | 0.040 |
| 101/2 | 0.190 |
| 101/4 | 0.029 |
| 101/5 | 0.032 |
| 101/6 | 0.032 |
| 148/3 | 0.101 |
| 148/4 | 0.101 |
| योग 10 | 1.030 |

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-मोंगरा परियोजना के दायीं तट नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी, मोहला के कार्यालय में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 14 अक्टूबर 2011

क्रमांक/7423/भू-अर्जन/2011.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

## अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-राजनांदगांव

(ख) तहसील-अं. चौकी

(ग) नगर/ग्राम-छच्छानपहरी, प. ह. नं. 11

(घ) लगभग क्षेत्रफल-5.549 हेक्टेयर

| खसरा नम्बर | रकबा (हेक्टेयर में) |
|---|---|
| (1) | (2) |
| 87/1 | 0.024 |
| 87/3 | 0.008 |
| 87/10 | 0.053 |
| 87/11 | 0.053 |
| 87/15 | 0.105 |
| 87/14 | 0.040 |
| 87/9 | 0.133 |
| 87/2 | 0.093 |
| 87/5 | 0.081 |
| 87/7 | 0.053 |
| 87/13 | 0.210 |
| 518/2 | 0.121 |
| 520/1 | 0.045 |
| 321/1 | 0.028 |
| 321/2 | 0.036 |
| 322 | 0.053 |
| 323 | 0.008 |
| 690/1 | 0.153 |
| 325 | 0.020 |
| 327/1 | 0.004 |
| 327/2 | 0.037 |
| 328/2 | 0.121 |
| 537/1 | 0.178 |
| 537/2 | 0.089 |
| 546/3 | 0.008 |
| 489/6 | 0.016 |
| 489/5 | 0.173 |
| 521/3 | 0.041 |
| 680/4 | 0.125 |
| 520/2 | 0.105 |
| 669 | 0.008 |
| 521/4 | 0.045 |
| 521/2 | 0.012 |
| 518/1 | 0.065 |
| 517 | 0.008 |
| 670 | 0.061 |
| 671/2 | 0.146 |
| 671/3 | 0.041 |
| 671/5 | 0.016 |
| 690/2 | 0.004 |
| 671/4 | 0.069 |
| 677/3 | 0.113 |
| 679 | 0.133 |
| 681/4 | 0.004 |
| 681/3 | 0.004 |

| (1) | (2) |
|---|---|
| 691 | 0.077 |
| 689/1 | 0.093 |
| 697/3 | 0.004 |
| 698/1 | 0.186 |
| 733/5 | 0.053 |
| 802/1 | 0.113 |
| 802/4 | 0.121 |
| 733/7 | 0.069 |
| 804 | 0.069 |
| 811/3 | 0.041 |
| 811/1 | 0.012 |
| 803/3 | 0.097 |
| 803/6 | 0.101 |
| 802/2 | 0.186 |
| 802/6 | 0.057 |
| 802/5 | 0.016 |
| 802/7 | 0.069 |
| 801/10 | 0.065 |
| 801/6 | 0.012 |
| 730 | 0.065 |
| 726 | 0.004 |
| 729/1 | 0.129 |
| 727 | 0.008 |
| 742/2 | 0.016 |
| 753/1 | 0.041 |
| 753/2 | 0.028 |
| 743/5 | 0.137 |
| 729/2 | 0.040 |
| 753/3 | 0.085 |
| 752/1 | 0.113 |
| 752/4 | 0.020 |
| 752/5 | 0.024 |
| 793 | 0.101 |
| 326 | 0.008 |
| 731 | 0.008 |
| 792 | 0.338 |
| योग 81 | 5.549 |

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-मोंहड़ परियोजना के नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी, मोहला के कार्यालय में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 14 अक्टूबर 2011

क्रमांक/7424/भू-अर्जन/2011.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

## अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-राजनांदगांव
- (ख) तहसील-अं. चौकी
- (ग) नगर/ग्राम-गोरांटोला, प. ह. नं. 13
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-4.338 हेक्टेयर

| खसरा नम्बर (1) | रकबा (हेक्टेयर में) (2) |
|---|---|
| 130 | 0.028 |
| 230/1 | 0.145 |
| 121 | 0.137 |
| 135 | 0.117 |
| 137 | 0.077 |
| 223 | 0.053 |
| 122 | 0.089 |
| 222 | 0.020 |
| 229/1 | 0.061 |
| 229/3 | 0.101 |
| 229/4 | 0.024 |
| 254 | 0.008 |
| 255 | 0.008 |
| 252 | 0.105 |
| 287 | 0.008 |
| 495/1 | 0.024 |
| 318 | 0.049 |
| 385/1 | 0.085 |
| 528/1 | 0.077 |
| 291 | 0.077 |
| 330/2 | 0.020 |
| 361 | 0.012 |
| 360/1 | 0.109 |
| 387 | 0.020 |
| 398 | 0.109 |

| (1) | (2) |
|---|---|
| 475 | 0.004 |
| 476 | 0.028 |
| 494/1 | 0.053 |
| 123/2 | 0.012 |
| 128/1 | 0.141 |
| 128/2 | 0.101 |
| 224/1 | 0.053 |
| 216/3 | 0.016 |
| 231/1 | 0.004 |
| 230/2 | 0.004 |
| 232/3 | 0.089 |
| 232/4 | 0.020 |
| 232/6 | 0.020 |
| 232/7 | 0.101 |
| 232/2 | 0.178 |
| 257 | 0.020 |
| 286/1 | 0.036 |
| 288/1 | 0.012 |
| 477/1 | 0.178 |
| 288/2 | 0.049 |
| 292/2 | 0.036 |
| 292/3 | 0.016 |
| 332/2 | 0.053 |
| 332/1 | 0.142 |
| 319/2 | 0.089 |
| 331/2 | 0.004 |
| 528/2 | 0.129 |
| 529 | 0.049 |
| 331/1 | 0.052 |
| 360/2 | 0.045 |
| 385/2 | 0.150 |
| 402 | 0.085 |
| 477/2 | 0.024 |
| 478/2 | 0.024 |
| 478/4 | 0.045 |
| 478/1 | 0.089 |
| 484 | 0.125 |
| 496 | 0.069 |
| 489 | 0.045 |
| 362 | 0.032 |
| 494/7 | 0.049 |
| 494/4 | 0.028 |
| 494/5 | 0.097 |
| 495/1 | 0.024 |
| 229/2 | 0.012 |
| 286/2 | 0.053 |
| 478/3 | 0.077 |
| योग 72 | 4.338 |

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-मोंहड़ परियोजना के नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी, मोहला के कार्यालय में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 24 अक्टूबर 2011

क्रमांक/7637/भू-अर्जन/2011.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

## अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-राजनांदगांव
- (ख) तहसील-डोंगरगढ़
- (ग) नगर/ग्राम-माटेकट्टा, प. ह. नं. 28
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-8.55 एकड़

| खसरा नम्बर<br>(1) | रकबा (एकड़ में)<br>(2) |
|---|---|
| 103/2 | 0.22 |
| 361 | 0.39 |
| 408 | 0.45 |
| 407 | 0.40 |
| 406/11 | 0.90 |
| 414 | 0.08 |
| 415 | 0.23 |
| 420 | 0.46 |
| 421/1 | 0.27 |
| 446/3 | 0.35 |

| (1) | (2) |
|---|---|
| 421/2 | 0.25 |
| 446/2 | 0.18 |
| 422 | 0.10 |
| 424/4 | 1.09 |
| 429/1 | 0.13 |
| 429/2 | 0.13 |
| 431/2 | 0.35 |
| 431/1 | 0.15 |
| 432 | 0.30 |
| 445/1 | 0.05 |
| 446/1 | 0.07 |
| 458 | 2.00 |
| योग 22 | 8.55 |

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-पिनकापार एनीकट के डुबान हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी, डोंगरगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 24 अक्टूबर 2011

क्रमांक/7638/भू-अर्जन/2011.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

## अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-राजनांदगांव
- (ख) तहसील-डोंगरगढ़
- (ग) नगर/ग्राम-पिनकापार, प. ह. नं. 03
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-11.65 एकड़

| खसरा नम्बर (1) | रकबा (एकड़ में) (2) |
|---|---|
| 5 | 0.25 |
| 6/1 | 1.00 |
| 6/2 | 0.30 |
| 6/3 | 0.25 |
| 6/4 | 0.08 |
| 25/1 | 0.50 |
| 25/2 | 2.10 |
| 25/3 | 1.21 |
| 26 | 1.23 |
| 27 | 2.23 |
| 29 | 1.90 |
| 36 | 0.60 |
| योग 12 | 11.65 |

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-पिनकापार एनीकट के डुबान हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी, डोंगरगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 24 अक्टूबर 2011

क्रमांक/7639/भू-अर्जन/2011.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

## अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-राजनांदगांव
- (ख) तहसील-अं. चौकी
- (ग) नगर/ग्राम-आंतरगांव, प. ह. नं. 13
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-10.786 हेक्टेयर

| खसरा नम्बर (1) | रकबा (हेक्टेयर में) (2) |
|---|---|
| 49/1 | 0.097 |
| 51/1 | 0.016 |

| (1) | (2) | (1) | (2) |
|---|---|---|---|
| 89/3 | 0.105 | 524/5 | 0.004 |
| 521 | 0.093 | 100/1 | 0.008 |
| 49/2 | 0.041 | 783/1 | 0.016 |
| 46 | 0.081 | 784 | 0.081 |
| 91/4 | 0.073 | 104 | 0.045 |
| 47 | 0.049 | 787 | 0.036 |
| 660 | 0.032 | 789 | 0.045 |
| 317/1 | 0.040 | 832 | 0.024 |
| 35/1 | 0.265 | 834 | 0.012 |
| 35/4 | 0.218 | 835 | 0.004 |
| 683 | 0.004 | 833/2 | 0.049 |
| 685 | 0.008 | 681/3 | 0.004 |
| 32/2, 32/3 | 0.109 | 819/6 | 0.032 |
| 673/1 | 0.012 | 1060/1 | 0.036 |
| 29/2 | 0.004 | 546/1 | 0.008 |
| 30 | 0.089 | 819/1, 819/4 | 0.028 |
| 95/1, 96/3 | 0.181 | 1060/4 | 0.109 |
| 92/1 | 0.049 | 819/3 | 0.101 |
| 542 | 0.041 | 820/2 | 0.129 |
| 93, 94/2, 95, 96/1 | 0.222 | 827/1 | 0.008 |
| 1096 | 0.161 | 824/5, 829, 831 | 0.028 |
| 102 | 0.097 | 672/2 | 0.081 |
| 91/6 | 0.234 | 1060/2 | 0.045 |
| 380/2 | 0.004 | 1059 | 0.040 |
| 315/2 | 0.073 | 1068 | 0.097 |
| 316/2 | 0.053 | 1069 | 0.020 |
| 317/2 | 0.016 | 1073 | 0.053 |
| 314/1 | 0.004 | 1074 | 0.016 |
| 350 | 0.008 | 1128 | 0.016 |
| 355/2 | 0.008 | 1097 | 0.077 |
| 670/2 | 0.113 | 356/2 | 0.193 |
| 670/3 | 0.016 | 819/2 | 0.061 |
| 315/1 | 0.028 | 406 | 0.008 |
| 316/1 | 0.024 | 1104 | 0.121 |
| 575 | 0.028 | 522 | 0.004 |
| 332 | 0.073 | 550 | 0.016 |
| 669 | 0.004 | 86 | 0.040 |
| 670/1 | 0.278 | 1109/1 | 0.004 |
| 756/2 | 0.020 | 1109/2 | 0.012 |
| 339 | 0.008 | 1108 | 0.101 |
| 117/2 | 0.089 | 651/1 | 0.085 |
| 785 | 0.045 | 329, 333/1 | 0.089 |
| 781/1 | 0.053 | 91/5 | 0.117 |
| 833/1 | 0.040 | 1107 | 0.057 |
| 782 | 0.028 | 649/1 | 0.041 |
| 788 | 0.036 | 1117 | 0.117 |

| (1) | (2) | (1) | (2) |
|---|---|---|---|
| 524/3 | 0.049 | 551 | 0.028 |
| 651/2 | 0.089 | 545/3 | 0.024 |
| 1133/4 | 0.081 | 545/1 | 0.012 |
| 1133/8 | 0.032 | 548/3 | 0.036 |
| 89/1 | 0.077 | 557 | 0.053 |
| 29/1 | 0.129 | 560 | 0.004 |
| 283 | 0.229 | 476/3 | 0.004 |
| 561/2 | 0.045 | 477/3, 477/5 | 0.097 |
| 888 | 0.012 | 478/1 | 0.113 |
| 1133/6 | 0.004 | 477/2 | 0.024 |
| 1118/1 | 0.081 | 469 | 0.053 |
| 1119/1 | 0.004 | 478/2 | 0.008 |
| 91/1 | 0.028 | 466 | 0.024 |
| 91/2 | 0.081 | 468 | 0.081 |
| 91/7 | 0.020 | 780/3 | 0.049 |
| 90/1 | 0.065 | 90/2 | 0.008 |
| 543/3 | 0.012 | 48 | 0.101 |
| 546/3 | 0.004 | 313/11 | 0.105 |
| 684/2 | 0.024 | 421/1 | 0.065 |
| 379 | 0.020 | 51/2 | 0.016 |
| 382/1 | 0.249 | 524/18 | 0.032 |
| 384/3 | 0.049 | 462/1, 463, 464/1 | 0.057 |
| 356/3 | 0.008 | 462/2, 464/2 | 0.129 |
| 539 | 0.004 | 537 | 0.012 |
| 409 | 0.008 | 465/2 | 0.045 |
| 538 | 0.032 | 101 | 0.036 |
| 413 | 0.020 | 381/9 | 0.040 |
| 648 | 0.012 | 1133/1 | 0.077 |
| 333/2 | 0.032 | 1103/2 | 0.016 |
| 354, 355/1 | 0.179 | 1103/1 | 0.028 |
| 405 | 0.065 | 561/1 | 0.004 |
| 410 | 0.024 | 342 | 0.137 |
| 411 | 0.004 | 562 | 0.169 |
| 523 | 0.077 | 566 | 0.012 |
| 524/4 | 0.004 | 476/4 | 0.065 |
| 524/22 | 0.073 | 827/2 | 0.012 |
| 414 | 0.065 | 826/2 | 0.008 |
| 420 | 0.081 | 1133/5 | 0.150 |
| 381/1 | 0.004 | 1118/2 | 0.081 |
| 535 | 0.049 | 545/2 | 0.045 |
| 659 | 0.036 | 352 | 0.101 |
| 526 | 0.049 | 681/1 | 0.004 |
| 673/2 | 0.028 | 524/8 | 0.052 |
| 661/2 | 0.028 | 543/4 | 0.069 |
| 546/2 | 0.073 | 476/2 | 0.089 |
| 552 | 0.057 | 477/7 | 0.020 |

| | (1) | (2) |
|---|---|---|
| | 687/1 | 0.012 |
| | 313/2 | 0.069 |
| | 563 | 0.024 |
| | 1130/1 | 0.041 |
| | 478/1 | 0.113 |
| | 100/2 | 0.032 |
| | 783/2 | 0.016 |
| योग | 193 | 10.786 |

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-मोंहड़ परियोजना के नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी, मोहला के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
**सिद्धार्थ कोमल सिंह परदेशी,** कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

## कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायगढ़, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

रायगढ़, दिनांक 8 सितम्बर 2011

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 51/अ-82/2010-11.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :--

### अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायगढ़
- (ख) तहसील-पुसौर
- (ग) नगर/ग्राम-शंकरपाली, प. ह. नं. 28
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.704 हेक्टेयर

| | खसरा नम्बर (1) | रकबा (हेक्टेयर में) (2) |
|---|---|---|
| | 78/1 | 0.020 |
| | 77 | 0.117 |
| | 78/2 | 0.041 |
| | 137/4 | 0.016 |
| | 137/1ख/1 | 0.101 |
| | 138/1 | 0.117 |
| | 140 | 0.057 |
| | 139/1 | 0.024 |
| | 155/1 | 0.020 |
| | 155/2 ख | 0.057 |
| | 154/2 क | 0.024 |
| | 276/4 | 0.065 |
| | 303 | 0.004 |
| | 307 | 0.028 |
| | 141/2 | 0.053 |
| | 141/1 | 0.028 |
| | 275/1 | 0.008 |
| | 142 | 0.028 |
| | 144 | 0.012 |
| | 143/1 | 0.032 |
| | 276/3 | 0.093 |
| | 156/1 | 0.024 |
| | 156 | 0.105 |
| | 154/1 | 0.020 |
| | 155/4 | 0.085 |
| | 276/5 | 0.109 |
| | 276/2 | 0.073 |
| | 277/4 | 0.008 |
| | 277/3 | 0.008 |
| | 277/1 क | 0.165 |
| | 273 | 0.162 |
| योग | 31 | 1.704 |

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-केलो परियोजना की अमलीपाली वितरक नहर से शंकरपाली माइनर-1 नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), रायगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 8 सितम्बर 2011

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 53/अ-82/2010-11.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायगढ़
- (ख) तहसील-पुसौर
- (ग) नगर/ग्राम-लंकापाली, प. ह. नं. 37
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.435 हेक्टेयर

| | खसरा नम्बर | रकबा (हेक्टेयर में) |
|---|---|---|
| | (1) | (2) |
| | 18 | 0.004 |
| | 19/1 | 0.081 |
| | 19/2 | 0.045 |
| | 21 | 0.145 |
| | 22 | 0.004 |
| | 24 | 0.004 |
| | 23/1 | 0.182 |
| | 451/4 | 0.024 |
| | 23/2 | 0.113 |
| | 414 | 0.036 |
| | 433/3 | 0.081 |
| | 415/1 | 0.045 |
| | 433/1 | 0.093 |
| | 415/8 | 0.041 |
| | 422/2 | 0.008 |
| | 425 | 0.024 |
| | 423 | 0.041 |
| | 424/1 | 0.117 |
| | 424/2 | 0.020 |
| | 424/3 | 0.057 |
| | 426 | 0.024 |
| | 427 | 0.024 |
| | 432 | 0.061 |
| | 431/1 | 0.016 |
| | 431/4 | 0.073 |
| | 431/2 | 0.028 |
| | 433/5 | 0.016 |
| | 433/6 | 0.024 |
| | 450 | 0.004 |
| योग | 29 | 1.435 |

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-केलो परियोजना की छिछौर उमरिया वितरक नहर से सुलोनी माइनर नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), रायगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 8 सितम्बर 2011

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 55/अ-82/2010-11.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायगढ़
- (ख) तहसील-पुसौर
- (ग) नगर/ग्राम-छोटेभंडार, प. ह. नं. 39
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.517 हेक्टेयर

| खसरा नम्बर | रकबा (हेक्टेयर में) |
|---|---|
| (1) | (2) |
| 245/1 | 0.081 |
| 245/12 | 0.008 |
| 245/13 | 0.016 |
| 254/1 | 0.004 |
| 245/7 | 0.117 |
| 245/3 | 0.061 |
| 245/9 | 0.113 |

| | (1) | (2) |
|---|---|---|
| | 244/2 | 0.117 |
| योग | 8 | 0.517 |

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-केलो परियोजना की बेलपाली माइनर नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), रायगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 8 सितम्बर 2011

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 56/अ-82/2010-11.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

## अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायगढ़
- (ख) तहसील-पुसौर
- (ग) नगर/ग्राम-छोटेभंडार, प. ह. नं. 39
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.126 हेक्टेयर

| खसरा नम्बर | रकबा (हेक्टेयर में) |
|---|---|
| (1) | (2) |
| 73/1 | 0.028 |
| 73/2 | 0.061 |
| 71 | 0.041 |
| 75/1क | 0.269 |
| 73/3क | 0.008 |
| 74 | 0.121 |
| 76 | 0.020 |
| 79/5 | 0.101 |
| 58/5 | 0.101 |
| 58/1 | 0.206 |
| 57 | 0.166 |
| 59/6 | 0.004 |
| योग 12 | 1.126 |

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-केलो परियोजना की अमलीभौना माइनर नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), रायगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 8 सितम्बर 2011

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 57/अ-82/2010-11.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

## अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायगढ़
- (ख) तहसील-पुसौर
- (ग) नगर/ग्राम-बुनगा, प. ह. नं. 40
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.506 हेक्टेयर

| खसरा नम्बर | रकबा (हेक्टेयर में) |
|---|---|
| (1) | (2) |
| 84 | 0.008 |
| 85/1 | 0.012 |
| 87/3 | 0.016 |
| 88/1 | 0.036 |
| 88/2 | 0.016 |
| 90 | 0.032 |
| 94/2 | 0.028 |
| 96/1 | 0.020 |
| 96/2 | 0.004 |
| 97 | 0.298 |

| | (1) | (2) |
|---|---|---|
| | 86/5 | 0.036 |
| योग | 11 | 0.506 |

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-केलो परियोजना की बुनगा माइनर-2 नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), रायगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 8 सितम्बर 2011

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 58/अ-82/2010-11.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

## अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायगढ़
- (ख) तहसील-पुसौर
- (ग) नगर/ग्राम-पुसल्दा, प. ह. नं. 28
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.446 हेक्टेयर

| | खसरा नम्बर | रकबा (हेक्टेयर में) |
|---|---|---|
| | (1) | (2) |
| | 1004/1 | 0.097 |
| | 1004/2 | 0.065 |
| | 1004/4 | 0.073 |
| | 1005/1 | 0.032 |
| | 1005/2 | 0.004 |
| | 1005/3 | 0.004 |
| | 1006/1 | 0.004 |
| | 1009 | 0.045 |
| | 1007/1 | 0.069 |
| | 1007/3 | 0.012 |
| | 1008/1 | 0.053 |
| | 983 | 0.016 |
| | 1007/2 | 0.073 |
| | 981/1 | 0.069 |
| | 982/1 | 0.045 |
| | 982/2 | 0.032 |
| | 980 | 0.097 |
| | 984 | 0.077 |
| | 977/2 | 0.004 |
| | 988/1 | 0.057 |
| | 988/3 | 0.065 |
| | 988/2 | 0.049 |
| | 991/1 | 0.004 |
| | 976 | 0.024 |
| | 975 | 0.016 |
| | 988/4 | 0.057 |
| | 974/2ख | 0.012 |
| | 992/3 | 0.020 |
| | 974/1 | 0.053 |
| | 993 | 0.012 |
| | 992/1 | 0.041 |
| | 988/5 | 0.165 |
| योग | 32 | 1.446 |

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-केलो परियोजना की तिलगी माइनर नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), रायगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 8 सितम्बर 2011

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 59/अ-82/2010-11.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

## अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायगढ़
- (ख) तहसील-पुसौर
- (ग) नगर/ग्राम-गोतमा, प. ह. नं. 37
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.781 हेक्टेयर

| | खसरा नम्बर | रकबा (हेक्टेयर में) |
|---|---|---|
| | (1) | (2) |
| | 2/1 | 0.067 |
| | 3 | 0.099 |
| | 10 | 0.036 |
| | 13/4 | 0.075 |
| | 11 | 0.083 |
| | 33 | 0.202 |
| | 12/4 | 0.026 |
| | 15 | 0.055 |
| | 16/1 | 0.032 |
| | 16/2 | 0.041 |
| | 18/1 | 0.016 |
| | 31 | 0.049 |
| योग | 12 | 0.781 |

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-केलो परियोजना की टिनमिनी माइनर नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), रायगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 8 सितम्बर 2011

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 60/अ-82/2010-11.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

## अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायगढ़
- (ख) तहसील-पुसौर
- (ग) नगर/ग्राम-अमलीभौना, प. ह. नं. 39
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.945 हेक्टेयर

| | खसरा नम्बर | रकबा (हेक्टेयर में) |
|---|---|---|
| | (1) | (2) |
| | 308/4 | 0.198 |
| | 308/6 | 0.206 |
| | 306 | 0.105 |
| | 312 | 0.109 |
| | 314/1 | 0.177 |
| | 325/1 | 0.004 |
| | 316/6 | 0.008 |
| | 307/1 | 0.016 |
| | 313/3 | 0.004 |
| | 316/1 | 0.077 |
| | 316/2 | 0.041 |
| योग | 11 | 0.945 |

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-केलो परियोजना की अमलीभौना माइनर नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), रायगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 8 सितम्बर 2011

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 61/अ-82/2010-11.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

## अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायगढ़
- (ख) तहसील-पुसौर
- (ग) नगर/ग्राम-छिछौर उमरिया, प. ह. नं. 41
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-2.420 हेक्टेयर

| खसरा नम्बर | रकबा (हेक्टेयर में) |
|---|---|
| (1) | (2) |
| 486 | 0.002 |

| (1) | (2) |
|---|---|
| 487/3 | 0.020 |
| 494/1 | 0.004 |
| 494/3 | 0.056 |
| 494/2 | 0.056 |
| 495 | 0.041 |
| 489/1 | 0.002 |
| 496/2 | 0.024 |
| 496/3 | 0.081 |
| 496/4 | 0.008 |
| 1106/10 | 0.012 |
| 703 | 0.073 |
| 706/1 | 0.065 |
| 707/1 | 0.085 |
| 713/1 | 0.065 |
| 714/2 | 0.057 |
| 715 | 0.012 |
| 714/3 | 0.045 |
| 1106/1 | 0.041 |
| 1107/1 | 0.105 |
| 1108/1 | 0.089 |
| 1108/2 | 0.036 |
| 1108/3 | 0.053 |
| 1109/1 | 0.097 |
| 1109/4क | 0.049 |
| 1135/5 | 0.121 |
| 1109/4ख | 0.048 |
| 1138/1 | 0.093 |
| 1138/2 | 0.052 |
| 1138/3 | 0.057 |
| 1139/1 | 0.077 |
| 1142/1 | 0.057 |
| 1142/3 | 0.032 |
| 1142/8 | 0.045 |
| 1107/2 | 0.049 |
| 1143/3 | 0.061 |
| 1159/1 | 0.085 |
| 1138/2 | 0.008 |
| 1165/5 | 0.121 |
| 1171/1 | 0.045 |
| 1184 | 0.010 |
| 1199 | 0.016 |
| 1215 | 0.020 |
| 1218 | 0.012 |
| 1200/1 | 0.024 |
| 1200/2 | 0.032 |
| 1219 | 0.020 |
| 1243 | 0.004 |
| 1244 | 0.036 |
| 1245/1 | 0.008 |
| 1249/1 | 0.041 |
| 1249/2 | 0.004 |
| 1284/1 | 0.036 |
| 1285 | 0.020 |
| 713/2 | 0.004 |
| 1140 | 0.004 |
| योग 56 | 2.420 |

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-केलो परियोजना की टिनमिनी माइनर नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), रायगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 8 सितम्बर 2011

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 62/अ-82/2010-11.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

## अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायगढ़
- (ख) तहसील-पुसौर
- (ग) नगर/ग्राम-तेतला, प. ह. नं. 29
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-6.613 हेक्टेयर

| खसरा नम्बर (1) | रकबा (हेक्टेयर में) (2) |
|---|---|
| 384/4 | 0.085 |
| 386/3 | 0.121 |
| 384/5 | 0.085 |
| 1221/8 | 0.048 |

| (1) | (2) |
|---|---|
| 1232/2 | 0.009 |
| 386/1 | 0.025 |
| 619/1 | 0.109 |
| 386/2 | 0.017 |
| 468/2 | 0.125 |
| 393/6 | 0.017 |
| 439/1 | 0.008 |
| 446/3 | 0.048 |
| 627/2 | 0.185 |
| 617/2 | 0.021 |
| 619/3 | 0.132 |
| 439/2 | 0.170 |
| 439/4 | 0.125 |
| 445 | 0.105 |
| 447/2 | 0.105 |
| 446/4 | 0.168 |
| 446/5 | 0.081 |
| 447/3 | 0.105 |
| 448/3 | 0.145 |
| 464/1 | 0.141 |
| 464/2 | 0.012 |
| 464/4 | 0.017 |
| 464/5 | 0.041 |
| 1439/1 | 0.089 |
| 470/3 | 0.121 |
| 620/2 | 0.028 |
| 619/2 | 0.101 |
| 619/4 | 0.087 |
| 631/3 | 0.051 |
| 628/3 | 0.021 |
| 631/1 | 0.045 |
| 632/4 | 0.012 |
| 1231 | 0.006 |
| 1162/3क | 0.061 |
| 1187/1क | 0.021 |
| 1187/1ग | 0.021 |
| 1163 | 0.008 |
| 1168 | 0.121 |
| 1165/2 | 0.024 |
| 1166 | 0.125 |
| 1179/1 | 0.097 |
| 1167 | 0.025 |
| 1170 | 0.052 |
| 1171/1, 1171/8, 1181/2 | 0.004 |
| 1171/2 | 0.004 |
| 1171/3 | 0.004 |

| (1) | (2) |
|---|---|
| 1171/6 | 0.045 |
| 1171/5 | 0.041 |
| 1187/4 | 0.020 |
| 1188/1 | 0.015 |
| 1182 | 0.010 |
| 1187 | 0.037 |
| 1188/1घ | 0.035 |
| 1188/2घ | 0.025 |
| 1190/1 | 0.045 |
| 1190/11 | 0.172 |
| 1190/2 | 0.017 |
| 1205/1 | 0.014 |
| 1208/1 | 0.065 |
| 1534/2 | 0.151 |
| 1535 | 0.025 |
| 1206/2 | 0.041 |
| 1207/3 | 0.073 |
| 1207/1 | 0.006 |
| 1209/10 | 0.013 |
| 1210/6 | 0.020 |
| 1211/1क | 0.004 |
| 1200/2, 1209/8, 1210/4, 1211/2 | 0.089 |
| 1212/1 | 0.025 |
| 1214/1 | 0.072 |
| 1214/3 | 0.061 |
| 1221/9 | 0.154 |
| 1232/1 | 0.138 |
| 1480/10 | 0.008 |
| 1480/13 | 0.040 |
| 1480/15 | 0.059 |
| 1488/1 | 0.065 |
| 1468/10 | 0.010 |
| 1468/12 | 0.010 |
| 1487/2 | 0.017 |
| 1487/3 | 0.025 |
| 1487/5ख | 0.028 |
| 1490/3 | 0.004 |
| 1487/7 | 0.025 |
| 1508/1ग | 0.061 |
| 1507/1 | 0.002 |
| 1507/2 | 0.101 |
| 1510/6 | 0.004 |
| 1510/7 | 0.004 |
| 1189 | 0.041 |
| 1178 | 0.004 |
| 1209/1 | 0.081 |

| (1) | (2) |
|---|---|
| 1439/3 | 0.033 |
| 1162/1ग | 0.057 |
| 1187/2 | 0.049 |
| 1489 | 0.069 |
| 1165/1 | 0.004 |
| 1490/2 | 0.004 |
| 1508/1क | 0.021 |
| 468/1 | 0.073 |
| 469/4 | 0.149 |
| 628/4 | 0.085 |
| 1233/3 | 0.017 |
| 1171/4 | 0.008 |
| 1179/3 | 0.129 |
| 1480/14 | 0.012 |
| 1180/2 | 0.085 |
| 1223/4 | 0.012 |
| 1221/7 | 0.017 |
| 1222/1 | 0.110 |
| 1223/1 | 0.069 |
| 1437/4 | 0.004 |
| 1532 | 0.040 |
| 1223/2 | 0.097 |
| 1533 | 0.089 |
| योग 128 | 6.613 |

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-केलो परियोजना की मुख्य नहर से कर्राजोर माइनर नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), रायगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 8 सितम्बर 2011

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 69/अ-82/2010-11.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

## अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायगढ़
- (ख) तहसील-पुसौर
- (ग) नगर/ग्राम-तुपकधार, प. ह. नं. 39
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.799 हेक्टेयर

| खसरा नम्बर (1) | रकबा (हेक्टेयर में) (2) |
|---|---|
| 106/1 | 0.065 |
| 107/3 | 0.049 |
| 136/2 | 0.224 |
| 103 | 0.061 |
| 104 | 0.065 |
| 105 | 0.008 |
| 106/2 | 0.081 |
| 107/2 | 0.004 |
| 134 | 0.173 |
| 128/1 | 0.053 |
| 127/1 ख | 0.016 |
| योग 11 | 0.799 |

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-केलो परियोजना की कलमा माइनर-2 नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), रायगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 8 सितम्बर 2011

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 70/अ-82/2010-11.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

## अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायगढ़
- (ख) तहसील-पुसौर
- (ग) नगर/ग्राम-ठेंगागुड़ी, प. ह. नं. 40
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-2.071 हेक्टेयर

| खसरा नम्बर | रकबा (हेक्टेयर में) |
|---|---|
| (1) | (2) |
| 37/2 | 0.008 |
| 37/3 | 0.089 |
| 145/3 | 0.049 |
| 263/1 | 0.028 |
| 39/1 | 0.065 |
| 254/4 | 0.032 |
| 251/4 | 0.016 |
| 47/1 | 0.093 |
| 47/2 | 0.020 |
| 46/1 | 0.032 |
| 43/1 | 0.085 |
| 40/1 | 0.028 |
| 251/5 | 0.077 |
| 42 | 0.081 |
| 125/1 | 0.081 |
| 126/2 | 0.105 |
| 145/6 | 0.032 |
| 254/5 | 0.008 |
| 147/6 | 0.004 |
| 147/7 | 0.036 |
| 147/2 | 0.011 |
| 147/1 | 0.008 |
| 148/1 | 0.093 |
| 151/1 | 0.024 |
| 265/1 | 0.109 |
| 161/5 | 0.004 |
| 288/17 | 0.012 |
| 161/6 | 0.028 |
| 161/7 | 0.024 |
| 153 | 0.045 |
| 152 | 0.061 |
| 251/1 | 0.149 |
| 331 | 0.045 |
| 250/6 | 0.008 |
| 254/1 | 0.024 |
| 289/7 | 0.069 |
| 255 | 0.057 |
| 254/3 | 0.061 |
| 262 | 0.133 |
| 263/5 | 0.069 |
| 264 | 0.032 |
| 288/16 | 0.004 |
| 288/18 | 0.032 |
| योग 43 | 2.071 |

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-केलो परियोजना की बुनगा माइनर-1 नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), रायगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 8 सितम्बर 2011

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 71/अ-82/2010-11.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

## अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायगढ़
- (ख) तहसील-पुसौर
- (ग) नगर/ग्राम-तिलगी, प. ह. नं. 38
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-2.166 हेक्टेयर

| खसरा नम्बर | रकबा (हेक्टेयर में) |
|---|---|
| (1) | (2) |
| 130/2 | 0.041 |
| 149 | 0.210 |
| 150 | 0.041 |
| 208 | 0.113 |
| 215 | 0.028 |
| 216/2 | 0.113 |

| (1) | (2) |
|---|---|
| 157 | 0.057 |
| 206/2 | 0.032 |
| 205/1 | 0.024 |
| 217 | 0.105 |
| 202/1 | 0.004 |
| 207/1 | 0.048 |
| 163/1 | 0.065 |
| 170/2 | 0.093 |
| 164 | 0.149 |
| 203 | 0.024 |
| 169/13 | 0.057 |
| 169/12 | 0.057 |
| 153/2 | 0.012 |
| 158 | 0.081 |
| 160 | 0.125 |
| 151 | 0.173 |
| 148 | 0.004 |
| 165 | 0.113 |
| 166/1 | 0.097 |
| 171/10 | 0.130 |
| 167/1 | 0.008 |
| 166/2 | 0.004 |
| 167/2 | 0.081 |
| 204/1 | 0.008 |
| 204/2 | 0.057 |
| 204/3 | 0.004 |
| 206/1 | 0.004 |
| 171/4 | 0.004 |
| योग 34 | 2.166 |

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-केलो परियोजना की तिलगी माइनर नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), रायगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 8 सितम्बर 2011

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 72/अ-82/2010-11.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

## अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायगढ़
- (ख) तहसील-पुसौर
- (ग) नगर/ग्राम-रनभाठा, प. ह. नं. 40
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.494 हेक्टेयर

| खसरा नम्बर (1) | रकबा (हेक्टेयर में) (2) |
|---|---|
| 6/2 | 0.045 |
| 7/1 | 0.024 |
| 10 | 0.036 |
| 6/1 | 0.073 |
| 8/2 | 0.077 |
| 12/1 | 0.020 |
| 73/1 | 0.032 |
| 11/2 | 0.016 |
| 12/2 | 0.109 |
| 20/1 क | 0.041 |
| 23/2 | 0.057 |
| 29/2 | 0.065 |
| 31 | 0.117 |
| 84 | 0.004 |
| 32 | 0.053 |
| 33 | 0.061 |
| 36/3 | 0.089 |
| 72/1 | 0.016 |
| 74 | 0.065 |
| 72/2 | 0.004 |
| 92/1 | 0.016 |
| 86 | 0.105 |
| 83 | 0.073 |
| 87 | 0.049 |
| 89/1 | 0.117 |
| 93 | 0.012 |
| 9 | 0.041 |
| 92/2 | 0.077 |
| योग 28 | 1.494 |

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-केलो परियोजना की बुनगा माइनर-2 नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), रायगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 12 सितम्बर 2011

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 52/अ-82/2010-11.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

## अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायगढ़
- (ख) तहसील-पुसौर
- (ग) नगर/ग्राम-सरवानी, प. ह. नं. 39
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.263 हेक्टेयर

| खसरा नम्बर | रकबा (हेक्टेयर में) |
|---|---|
| (1) | (2) |
| 148 | 0.097 |
| 150 | 0.012 |
| 152 | 0.069 |
| 151/1 | 0.053 |
| 153 | 0.053 |
| 277 | 0.081 |
| 280 | 0.004 |
| 276 | 0.012 |
| 281 | 0.032 |
| 320 | 0.077 |
| 288/1 | 0.057 |
| 157 | 0.065 |
| 185/4 | 0.004 |
| 271 | 0.097 |
| 298 | 0.085 |
| 297/1 | 0.016 |
| 297/2 | 0.069 |
| 154 | 0.065 |
| 158/3 | 0.085 |
| 159 | 0.089 |
| 149/1 | 0.004 |
| 278 | 0.016 |
| 296 | 0.036 |
| 282 | 0.020 |
| [illegible] | 0.004 |
| 279 | 0.061 |
| योग 26 | 1.263 |

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-केलो परियोजना की अमलीपाली वितरक नहर से सरवानी माइनर नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), रायगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 12 सितम्बर 2011

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 54/अ-82/2010-11.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

## अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायगढ़
- (ख) तहसील-पुसौर
- (ग) नगर/ग्राम-लंकापाली, प. ह. नं. 37
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-2.160 हेक्टेयर

| खसरा नम्बर | रकबा (हेक्टेयर में) |
|---|---|
| (1) | (2) |
| 67 | 0.049 |
| 387 | 0.061 |
| 68 | 0.045 |
| 391 | 0.008 |
| 71 | 0.069 |
| 69 | 0.024 |
| 70 | 0.065 |
| 98 | 0.032 |
| 313 | 0.089 |
| 314 | 0.049 |

| (1) | (2) |
|---|---|
| 318 | 0.024 |
| 247 | 0.105 |
| 248 | 0.004 |
| 249 | 0.024 |
| 250 | 0.178 |
| 320/1 | 0.101 |
| 388 | 0.081 |
| 312 | 0.073 |
| 323 | 0.032 |
| 603 | 0.061 |
| 315 | 0.073 |
| 317 | 0.073 |
| 316 | 0.049 |
| 341/3 | 0.002 |
| 345 | 0.020 |
| 342/1 | 0.008 |
| 343/1, 343/2 | 0.074 |
| 370 | 0.065 |
| 342/2 | 0.074 |
| 366/1 | 0.089 |
| 367 | 0.002 |
| 379 | 0.109 |
| 368 | 0.061 |
| 382 | 0.093 |
| 389 | 0.049 |
| 602/2 | 0.020 |
| 604 | 0.056 |
| 320/2 | 0.069 |
| योग 39 | 2.160 |

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-केलो परियोजना की छिछौर उमरिया वितरक नहर से केलापाली माइनर नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), रायगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
**अमित कटारिया,** कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

---

# विभाग प्रमुखों के आदेश

## कार्यालय, प्रबंध संचालक, छ.ग. राज्य कृषि विपणन (मण्डी) बोर्ड

### बीज भवन, जी. ई. रोड, तेलीबांधा, रायपुर

रायपुर, दिनांक 8 नवम्बर 2011

क्रमांक/बी-8/भा.अधि./2011-12/4474.—कार्यालयीन आदेश क्रमांक/बी-8/भा.अधि./2010-11/7574 रायपुर, दिनांक 17-02-2011 द्वारा श्री आर. के. राठौर, उप संचालक कृषि, जिला कबीरधाम को कृषि उपज मण्डी समिति, कवर्धा का भारसाधक अधिकारी नियुक्त किया गया था.

श्री आर. के. राठौर, उप संचालक कृषि का स्थानांतरण शासन के आदेश दिनांक 11-08-2011 द्वारा कोरिया जिला होने तथा उनके स्थान पर श्री ए. के. बंजारा, उप संचालक कृषि की पदस्थापना उप संचालक कृषि, जिला-कबीरधाम के पद पर होने से उनके द्वारा दिनांक 10-09-2011 को उप संचालक कृषि, जिला-कबीरधाम का पदभार ग्रहण कर लिया गया है.

अत: छत्तीसगढ़ कृषि उपज मण्डी अधिनियम 1972 (क्रमांक 24 सन् 1976) की धारा 57 की उपधारा 1 के खण्ड "ख" में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्द्वारा, श्री आर. के. राठौर, उप संचालक कृषि के स्थान पर श्री ए. के. बंजारा, उप संचालक कृषि, जिला-कबीरधाम को उनके कार्यभार ग्रहण दिनांक से कृषि उपज मण्डी समिति, कवर्धा का भारसाधक अधिकारी नियुक्त किया जाता है.

**सुरेन्द्र कुमार जायसवाल,**
प्रबंध संचालक.

# कार्यालय, मुख्य निरीक्षक वाष्पयंत्र, एवम् अध्यक्ष, बायलर प्रचालन इंजीनियर परीक्षक मंडल, छत्तीसगढ़

जी. ई. रोड, आमापारा, पो. विवेकानंद आश्रम, रायपुर

## ब्रायलर प्रचालन इंजीनियर ( बी.ओ.ई. ) परीक्षा

रायपुर, दिनांक 13 अक्टूबर 2011

क्रमांक मुनिवा/बी.ओ.ई. परीक्षा/5779/2011.—सूचित किया जाता है कि बालयर प्रचालन इंजीनियर नियम-2011 के अंतर्गत ब्रायलर प्रचालन इंजीनियरिंग में प्रवीणता प्रमाण-पत्र प्रदान करने हेतु परीक्षा दिनांक 12 से 15 मार्च 2012 को भिलाई में आयोजित की गई है. परीक्षार्थी आवेदन-पत्र (प्रपत्र-'क') इस कार्यालय से स्वयं का पता लिखा 4×10 इंच साईज का लिफाफा जिस पर रु. 10/- मात्र का डाक टिकिट लगे हो, भेजकर प्राप्त कर सकते हैं. आवेदन-पत्र (प्रपत्र-'क') की छायाप्रति भी मान्य होगी. आवेदन-पत्र (प्रपत्र-'क') केवल डाक द्वारा जारी किये जावेंगे.

परीक्षार्थियों के आवेदन-पत्र परीक्षा शुल्क रु. 1500/- के मूल चालान के साथ निर्धारित (प्रपत्र-'क') पर सम्पूर्ण विवरण के साथ भाग-IV में परीक्षार्थी के हस्ताक्षर मजिस्ट्रेट अथवा राजपत्रित अधिकारी अथवा अपने नियोक्ता द्वारा प्रमाणित कर सचिव, बालयर प्रचालन इंजीनियर परीक्षक मंडल, कार्यालय मुख्य निरीक्षक वाष्पयंत्र, जी. ई. रोड, आमापारा, पो. विवेकानंद आश्रम, रायपुर 492001 में दिनांक 25-11-2011 तक या उसके पूर्व डाक द्वारा पहुंचने चाहिये.

निर्धारित तिथि के बाद प्राप्त आवेदन-पत्र निरस्त कर दिये जावेंगे.

**पात्रता :—**

| स. क्र. (1) | शैक्षणिक योग्यता (2) | न्यूनतम अनुभव (3) | अनुभव का प्रकार (4) |
|---|---|---|---|
| 1. | किसी मान्यता प्राप्त संस्था से मेकेनिकल/इलेक्ट्रिकल/ केमिकल / पावरप्लांट / प्रोडक्शन इंजि. / इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरी में डिग्री. | 02 वर्ष | न्यूनतम 1000 वर्ग मीटर हीटिंग सरफेस ऐरिया (रेटिंग) के बालयर का आपरेशन और/या मेंटेनेंस में अनुभव. |
| 2. | किसी मान्यता प्राप्त संस्था से मेकेनिकल/इलेक्ट्रिकल/ केमिकल / पावरप्लांट / प्रोडक्शन इंजि. / इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरी में डिप्लोमा. | 05 वर्ष | **या** |
| 3. | किसी मान्यता प्राप्त संस्था से मेकेनिकल/इलेक्ट्रिकल/ केमिकल / पावरप्लांट / प्रोडक्शन इंजि. / इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरी में डिग्री एवम् एन.पी.टी.आई. से पी.जी. डिप्लोमा. | 01 वर्ष | बैटरी में जुड़े हुये बायलरों जिनका कुल हीटिंग सरफेस ऐरिया 1000 वर्ग मीटर से कम न हो जिनमें से एक ब्रायलर कम से कम 500 वर्ग मीटर हीटिंग सरफेस ऐरिया का हो; का आपरेशन और/या मेंटेनेंस में अनुभव. |
| 4. | एन.टी.पी.आई. से डिग्री. | 01 वर्ष | |

**टीप :—**

(1) निर्धारित प्रारूप में सेवा प्रमाण-पत्र दो अधिकारियों द्वारा हस्ताक्षरित होना चाहिये जिसमें से एक अधिकारी धारा 2 (डी) के अंतर्गत मालिक (जिनके नाम पर बायलर का प्रमाण-पत्र जारी किया जाता है) होना अनिवार्य है.

(2) उम्मीदवार की न्यूनतम आयु दिनांक 01-01-2012 को 23 वर्ष पूर्ण होना चाहिये.

(3) न्यूनतम अनुभव दिनांक 01-01-2012 की स्थिति में पूर्ण होना चाहिये.

(4) बायलर प्रचालन इंजीनियर नियम-2011 के अनुसार अनुभव के आधार पर लिखित परीक्षा में किसी विषय से छूट नहीं दी जावेंगी. सभी आवेदकों को लिखित परीक्षा के सभी विषय (बायलर इंजीनियरिंग-I, बायलर इंजीनियरिंग-II तथा ड्राइंग) एवं मौखिक परीक्षा में सम्मिलित होना अनिवार्य है.

**गुंजन शुक्ला,**
सचिव.

---

## कार्यालय, मुख्य निरीक्षक वाष्पयंत्र, एवम् अध्यक्ष, बायलर अटेन्डेन्ट परीक्षक मंडल, छत्तीसगढ़
जी. ई. रोड, आमापारा, पो. विवेकानंद आश्रम, रायपुर

**द्वितीय एवम् प्रथम श्रेणी बायलर अटेन्डेन्ट्स परीक्षा**

रायपुर, दिनांक 13 अक्टूबर 2011

क्रमांक मुनिवा/बा.अ. परीक्षा/5780/2011.—सूचित किया जाता है कि बायलर परिचर नियम-2011 के अंतर्गत द्वितीय श्रेणी बायलर अटेन्डेन्ट्स को प्रवीणता प्रमाण-पत्र प्रदान करने हेतु परीक्षा दिनांक 9 जनवरी 2012 से 11 जनवरी 2012 को रायपुर में आयोजित की गई है. प्रथम श्रेणी बायलर अटेन्डेन्ट्स को प्रवीणता प्रमाण-पत्र प्रदान करने हेतु परीक्षा दिनांक 13 फरवरी 2012 से 15 फरवरी 2012 को रायपुर में आयोजित की गई है. परीक्षार्थी आवेदन-पत्र (प्रपत्र-'क') इस कार्यालय से स्वयं का पता लिखा 4×10 इंच साईज का लिफाफा जिस पर रु. 10/- मात्र के डाक टिकिट लगे हो, भेजकर प्राप्त कर सकते हैं. आवेदन-पत्र (प्रपत्र-'क') की छायाप्रति भी मान्य होगी. आवेदन-पत्र (प्रपत्र-'क') केवल डाक द्वारा जारी किये जावेंगे.

परीक्षार्थियों के आवेदन-पत्र परीक्षा शुल्क के मूल चालान सहित निर्धारित (प्रपत्र-'क') पर सम्पूर्ण विवरण के साथ भाग-IV में परीक्षार्थी के हस्ताक्षर, मजिस्ट्रेट अथवा राजपत्रित अधिकारी अथवा अपने नियोक्ता द्वारा प्रमाणित कर सचिव, बालयर अटेन्डेन्ट परीक्षक मंडल, कार्यालय, मुख्य निरीक्षक वाष्पयंत्र, जी. ई. रोड, आमापारा, पो. विवेकानंद आश्रम, रायपुर-492001 में दिनांक 25-11-2011 तक या उसके पूर्व डाक द्वारा पहुंचने चाहिये. निर्धारित तिथि के बाद प्राप्त आवेदन-पत्र निरस्त कर दिये जावेंगे.

**द्वितीय श्रेणी बायलर अटेन्डेन्ट की परीक्षा हेतु पात्रता :—**

(1) दिनांक 01-01-2012 को न्यूनतम अनुभव

(अ) भाप बायलर पर फायरमेन या आपरेटर या सहायक फायरमेन या सहायक आपरेटर के रूप में दो वर्ष का कार्य अनुभव

**अथवा**

(ब) बायलर फिटर के रूप में तीन वर्ष का कार्य अनुभव जिसमें से सहायक फायरमेन के रूप में एक वर्ष का कार्य अनुभव

**अथवा**

(स) आई.टी.आई. प्रमाण-पत्र धारक को लघु उद्योग बायलर पर दो वर्ष का कार्य अनुभव

(2) **शैक्षणिक योग्यता :—** मान्यता प्राप्त संस्थान या बोर्ड से मैट्रिकुलेशन (कक्षा दसवीं) या उसके समतुल्य परीक्षा उत्तीर्ण.

(3) **आयु सीमा :—** दिनांक 01-01-2012 को न्यूनतम 18 वर्ष.

**प्रथम श्रेणी बायलर अटेन्डेन्ट की परीक्षा हेतु पात्रता :—**

(1) दिनांक 01-01-2012 को न्यूनतम अनुभव

(अ) द्वितीय श्रेणी बायलर अटेन्डेन्ट के प्रमाण-पत्र के साथ न्यूनतम 50 वर्ग मीटर हीटिंग सरफेस ऐरिया के बायलर पर दो वर्ष का कार्य अनुभव.

**अथवा**

(ब) किसी औद्योगिक या तकनीकी संस्थान से तीन वर्षीय प्रशिक्षण पाठ्यक्रम जिसमें एक वर्ष इंजन या बायलर की मरम्मत या निर्माण संबंधी प्रशिक्षुता शामिल हो, के साथ द्वितीय श्रेणी बायलर अटेन्डेन्ट के प्रमाण-पत्र के साथ न्यूनतम 50 वर्ग मीटर हीटिंग सरफेस ऐरिया के बायलर पर एक वर्ष का कार्य अनुभव.

(2) **शैक्षणिक योग्यता :—** मान्यता प्राप्त संस्थान या बोर्ड से मैट्रिकुलेशन (कक्षा दसवीं) या उसके समतुल्य परीक्षा उत्तीर्ण.

(3) **आयु सीमा :—** दिनांक 01-01-2012 को न्यूनतम 20 वर्ष.

**टीप :—**

(1) निर्धारित प्रारूप में सेवा प्रमाण-पत्र दो अधिकारियों द्वारा हस्ताक्षरित होना चाहिये जिसमें से एक अधिकारी धारा 2 (डी) के अंतर्गत मालिक (जिनके नाम पर बायलर का प्रमाण-पत्र जारी किया जाता है) होना अनिवार्य है.

(2) **परीक्षा शुल्क :—** द्वितीय श्रेणी परीक्षा हेतु रुपये 300=00 मात्र (अक्षरी रुपये तीन सौ मात्र) एवम् प्रथम श्रेणी हेतु रु. 500=00 मात्र (अक्षरी रुपये पांच सौ मात्र)

**एफ. के. भोई,**
सचिव.

---

# छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग
## महानदी खण्ड, मंत्रालय परिसर, रायपुर

रायपुर, दिनांक 28 अक्टूबर 2011

क्रमांक एफ 37-14/तीन (एक)-1/2011/1664.—छ.ग. पंचायत राज अधिनियम, 1993 की धारा 42 एवं सहपठित छत्तीसगढ़ पंचायत निर्वाचन नियम 1995 के नियम 18 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा प्रदेश के समस्त जिलों (जिला नारायणपुर को छोड़कर) के परिशिष्ट-एक में दर्शाये गये जनपद पंचायत सदस्यों/सरपंचों/पंचों के रिक्त पदों की पूर्ति के लिये उप निर्वाचन हेतु छ.ग. पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 28 की अपेक्षा अनुसार निम्नलिखित समय-अनुसूची (कार्यक्रम) विहित करता है :—

| क्र. | कार्यवाही | संबंधित नियम | निर्धारित तारीख | दिन | समय |
|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| 1. | (i) निर्वाचन की सूचना का प्रकाशन | 28 | 04-11-2011 | शुक्रवार | प्रात: 10.30 बजे |
| | (ii) नाम निर्देशन पत्र प्राप्त करना | 28 | 04-11-2011 | शुक्रवार | प्रात: 10.30 बजे से |
| | (iii) स्थानों (सीटों) के आरक्षण के संबंध में सूचना का प्रकाशन. | 29-क | 04-11-2011 | शुक्रवार | प्रात: 10.30 बजे |
| | (iv) मतदान केन्द्रों की सूची का प्रकाशन | 23 | 04-11-2011 | शुक्रवार | प्रात: 10.30 बजे |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2. | नाम निर्देशन पत्र प्राप्त करने की अंतिम तारीख | 28 (क) | 11-11-2011 | शुक्रवार | अपरान्ह 3.00 बजे तक |
| 3. | नाम निर्देशन पत्रों की संवीक्षा (जांच) करने की तिथि. | 28 (ख) | 12-11-2011 | शनिवार | प्रात: 10.30 बजे से |
| 4. | अभ्यर्थिता से नाम वापस लेने की अंतिम तारीख | 28 (ग) | 14-11-2011 | सोमवार | अपरान्ह 3.00 बजे तक |
| 5. | निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची तैयार करना और निर्वाचन प्रतीकों का आवंटन. | 38, 39 | 14-11-2011 | सोमवार | अपरान्ह 3.00 बजे के बाद |
| 6. | निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची का प्रकाशन. | 40 | 14-11-2011 | सोमवार | प्रतीक आवंटन के तुरन्त बाद |
| 7. | मतदान (यदि आवश्यक हो) | 28 (घ) | 27-11-2011 | रविवार | प्रात: 7.00 बजे से अपरान्ह 3.00 बजे तक |
| 8. | मतगणना<br>(1) मतदान केन्द्रों पर<br>(2) यदि आवश्यक हो तो तहसील/खण्ड मुख्यालय पर. | 28 (ङ) | 27-11-2011<br><br>29-11-2011 | रविवार<br><br>मंगलवार | मतदान के तुरन्त बाद<br>अपरान्ह 3.00 बजे से |
| 9. | सारणीकरण एवं निर्वाचन परिणाम की घोषणा<br>(1) पंच, सरपंच/जनपद पंचायत सदस्य के मामले में. | 81 | 30-11-2011 | बुधवार | प्रात: 9.00 बजे से (खंड मुख्यालय में) |

**आई. आर. देहारी,**
सचिव.

## त्रिस्तरीय पंचायतों के रिक्त पदों की जानकारी

**दिनांक 30 जून 2011 की स्थिति में**

| क्र. | जिला | जिला पंचायत सदस्य | जनपद पंचायत सदस्य | सरपंच | पंच | योग |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7). |
| 1. | बिलासपुर | 0 | 2 | 8 | 42 | 52 |
| 2. | जांजगीर-चांपा | 0 | 1 | 4 | 26 | 31 |
| 3. | कोरबा | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 |
| 4. | सरगुजा | 0 | 0 | 9 | 54 | 63 |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5. | कोरिया | 0 | 1 | 1 | 11 | 13 |
| 6. | रायगढ़ | 0 | 0 | 13 | 127 | 140 |
| 7. | जशपुर | 0 | 0 | 1 | 9 | 10 |
| 8. | रायपुर | 0 | 1 | 21 | 53 | 75 |
| 9. | महासमुन्द | 0 | 1 | 6 | 4 | 11 |
| 10. | धमतरी | 0 | 1 | 5 | 12 | 18 |
| 11. | दुर्ग | 0 | 1 | 10 | 44 | 55 |
| 12. | राजनांदगांव | 0 | 1 | 7 | 29 | 37 |
| 13. | कबीरधाम | 0 | 1 | 3 | 12 | 16 |
| 14. | बस्तर | 0 | 1 | 2 | 16 | 19 |
| 15. | नारायणपुर | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | कांकेर | 0 | 0 | 4 | 179 | 183 |
| 17. | दन्तेवाड़ा | 0 | 1 | 0 | 8 | 9 |
| 18. | बीजापुर | 0 | 2 | 2 | 188 | 192 |
| | **योग** | **0** | **14** | **96** | **822** | **932** |

**आई. आर. देहारी,**
सचिव.

## न्यायालय, सक्षम अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (रा.), रायगढ़, जिला-रायगढ़ (छ. ग.)

रायगढ़, दिनांक 13 सितम्बर 2011

### प्रारूप-ख
[ नियम-5 (1) देखिए ]

क्रमांक 204/बी 121/2010-11.—राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि ग्राम टपर्दा, प. ह. नं. 39, तहसील-पुसौर, जिला-रायगढ़ (छ.ग.) से जल परिवहन हेतु ग्राम सलिहाभांठा, प.ह.नं. 32, तहसील-तमनार, जिला-रायगढ़ (छ.ग.) तक मेसर्स जिंदल पावर लिमिटेड, तमनार, पोस्ट-तमनार, जिला-रायगढ़ (छ.ग.) द्वारा भूमिगत पाइपलाईन बिछायी जानी है,

और राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाइपलाईन बिछाने के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि ग्राम टपर्दा, प. ह. नं. 39, तहसील-पुसौर, जिला-रायगढ़ कि भूमि का जिसमें भूमिगत पाईप लाईन बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए.

अतएव, राज्य सरकार एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ भूमिगत पाइपलाईन (भूमि के उपयोग के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2004 (क्रमांक 7 सन् 2004) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए उस भूमि के उपयोग का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है.

### अनुसूची

| जिला | तहसील | ग्राम/प. ह. नं. | खसरा नं. | उपयोग के अधिकार के लिए अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में) | (एकड़ में) |
|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| रायगढ़ | पुसौर | ग्राम-टपर्दा | 44/3 | 0.044 | 0.11 |
| | | प.ह.नं. 39 | 45/1 | 0.040 | 0.10 |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 196/2 | 0.038 | 0.09 |
| | | | 43 | 0.110 | 0.27 |
| | | | 77/2 | 0.120 | 0.30 |
| | | | 44/4 | 0.044 | 0.11 |
| | | | 46/1 | 0.156 | 0.39 |
| | | | 209 | 0.018 | 0.04 |
| | | | 76/1 | 0.080 | 0.20 |
| | | | 77/3 | 0.072 | 0.18 |
| | | | 76/2 क | 0.014 | 0.03 |
| | | | 77/1 | 0.094 | 0.23 |
| | | | 249/2 | 0.074 | 0.18 |
| | | | 210/2 | 0.070 | 0.17 |
| | | | 245/1 | 0.024 | 0.06 |
| | | | 194/2 | 0.041 | 0.10 |
| | | | 281/2 | 0.024 | 0.06 |
| | | | 176/4 | 0.036 | 0.09 |
| | | | 76/3 | 0.014 | 0.03 |
| | | | 195/1 | 0.038 | 0.09 |
| | | | 214 | 0.010 | 0.02 |
| | | | 160 | 0.044 | 0.11 |
| | | | 174/1 | 0.010 | 0.02 |
| | | | 180 | 0.020 | 0.05 |
| | | | 248 | 0.155 | 0.38 |
| | | | 245/2 | 0.052 | 0.13 |
| | | | 195/3 | 0.016 | 0.04 |
| | | | 213/4 | 0.028 | 0.07 |
| | | | 211/1 | 0.125 | 0.31 |
| | | | 205/10 | 0.060 | 0.15 |
| | | | 145/11 | 0.416 | 1.03 |
| | | | 197 | 0.028 | 0.07 |
| | | | 175 | 0.020 | 0.05 |
| | | | 151/7 | 0.048 | 0.12 |
| | | | 158 | 0.035 | 0.09 |
| | | | 210/1छ | 0.070 | 0.17 |
| | | | 181/2 | 0.032 | 0.08 |
| | | | 181/1 | 0.020 | 0.05 |
| | | | 161 | 0.020 | 0.05 |
| | | | 163 | 0.040 | 0.10 |
| | | | 282/2 | 0.208 | 0.51 |
| | | | 157 | 0.040 | 0.10 |
| | | | 249/1 | 0.074 | 0.18 |
| | | | 151/2ग | 0.060 | 0.15 |
| | | | 282/1 | 0.320 | 0.79 |
| | | | **योग** | **3.102** | **7.67** |

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 के उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होने के 21 दिवस (इक्कीस दिवस) के भीतर, भूमि के नीचे पाइपलाईन बिछाये जाने के संबंध में सक्षम अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी, रायगढ़ छत्तीसगढ़ को लिखित रूप में आक्षेप भेज सकेगा.

**टीप :—** भूमि के नीचे पाइपलाईन बिछाये जाने के संबंध में नक्शा एवं नस्ती कार्यालय सक्षम प्राधिकारी अनुविभागीय अधिकारी (रा.) रायगढ़, जिला रायगढ़ (छ.ग.) में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 13 सितम्बर 2011

प्रारूप-ख

[ नियम-5 (1) देखिए ]

क्रमांक 205/बी 121/2010-11.—राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि ग्राम जिवरीडीह, प. ह. नं. 39, तहसील-पुसौर, जिला-रायगढ़ (छ.ग.) से जल परिवहन हेतु ग्राम सलिहाभांठा, प.ह.नं. 32, तहसील-तमनार, जिला-रायगढ़ (छ.ग.) तक मेसर्स जिंदल पावर लिमिटेड, तमनार, पोस्ट-तमनार, जिला-रायगढ़ (छ.ग.) द्वारा भूमिगत पाइपलाईन बिछायी जानी है,

और राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाइपलाईन बिछाने के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि ग्राम जिवरीडीह, प. ह. नं. 39, तहसील- पुसौर, जिला-रायगढ़ कि भूमि का जिसमें भूमिगत पाइपलाईन बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए.

अतएव, राज्य सरकार एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ भूमिगत पाइपलाईन (भूमि के उपयोग के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2004 (क्रमांक 7 सन् 2004) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए उस भूमि के उपयोग का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है.

अनुसूची

| जिला | तहसील | ग्राम/प. ह. नं. | खसरा नं. | उपयोग के अधिकार के लिए अर्जित की जाने वाली भूमि | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (हेक्टेयर में) | (एकड़ में) |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| रायगढ़ | पुसौर | ग्राम-जिवरीडीह | 242/1ख | 0.080 | 0.200 |
| | | प.ह.नं. 39 | 242/1ग | 0.0140 | 0.030 |
| | | | 242/2 | 0.019 | 0.050 |
| | | | 251 | 0.060 | 0.150 |
| | | | 252/2 | 0.112 | 0.280 |
| | | | 254 | 0.012 | 0.030 |
| | | | 253/1 | 0.115 | 0.280 |
| | | | 247/2 | 0.128 | 0.320 |
| | | | **योग** | **0.540** | **1.330** |

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 के उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होने के 21 दिवस (इक्कीस दिवस) के भीतर, भूमि के नीचे पाइपलाईन बिछाये जाने के संबंध में सक्षम अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी, रायगढ़ छत्तीसगढ़ को लिखित रूप में आक्षेप भेज सकेगा.

**टीप :—** भूमि के नीचे पाइपलाईन बिछाये जाने के संबंध में नक्शा एवं नस्ती कार्यालय सक्षम प्राधिकारी अनुविभागीय अधिकारी (रा.) रायगढ़, जिला रायगढ़ (छ.ग.) में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 13 सितम्बर 2011

प्रारूप-ख
[ नियम-5 (1) देखिए ]

क्रमांक 206/बी 121/2010-11.—राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि ग्राम रनभांठा, प. ह. नं. 40, तहसील-पुसौर, जिला-रायगढ़ (छ.ग.) से जल परिवहन हेतु ग्राम सलिहाभांठा, प.ह.नं. 32, तहसील-तमनार, जिला-रायगढ़ (छ.ग.) तक मेसर्स जिंदल पावर लिमिटेड, तमनार, पोस्ट-तमनार, जिला-रायगढ़ (छ.ग.) द्वारा भूमिगत पाइपलाईन बिछायी जानी है,

और राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाइपलाईन बिछाने के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि ग्राम रनभांठा, प. ह. नं. 40, तहसील-पुसौर, जिला-रायगढ़ कि भूमि का जिसमें भूमिगत पाइपलाईन बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए.

अतएव, राज्य सरकार एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ भूमिगत पाइपलाईन (भूमि के उपयोग के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2004 (क्रमांक 7 सन् 2004) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए उस भूमि के उपयोग का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है.

अनुसूची

| जिला | तहसील | ग्राम/प. ह. नं. | खसरा नं. | उपयोग के अधिकार के लिए अर्जित की जाने वाली भूमि | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (हेक्टेयर में) | (एकड़ में) |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| रायगढ़ | पुसौर | ग्राम-रनभांठा | 397/3, 397/4 | 0.160 | 0.40 |
| | | प.ह.नं. 40 | 20/1क | 0.080 | 0.20 |
| | | | 75/1 | 0.070 | 0.17 |
| | | | 80/1 | 0.060 | 0.15 |
| | | | 90/4 | 0.380 | 0.94 |
| | | | 6/1 | 0.030 | 0.07 |
| | | | 384 | 0.080 | 0.20 |
| | | | 118/1, 119/3, 119/4 | 0.120 | 0.30 |
| | | | 9 | 0.070 | 0.17 |
| | | | 79/1 | 0.030 | 0.07 |
| | | | 91 | 0.050 | 0.12 |
| | | | 29/2 | 0.080 | 0.20 |
| | | | 388 | 0.050 | 0.12 |
| | | | 390/2 | 0.120 | 0.30 |
| | | | 34 | 0.120 | 0.30 |
| | | | 57/2 | 0.080 | 0.20 |
| | | | 80 | 0.061 | 0.15 |
| | | | 70 | 0.061 | 0.15 |
| | | | 65 | 0.080 | 0.20 |
| | | | 35 | 0.050 | 0.12 |
| | | | 11/2 | 0.100 | 0.25 |
| | | | 12/1 | 0.150 | 0.37 |
| | | | 37 | 0.060 | 0.15 |
| | | | 385 | 0.100 | 0.25 |
| | | | 75/2 | 0.070 | 0.17 |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 117/1, 117/2 | 0.120 | 0.30 |
| | | | 120 | 0.080 | 0.20 |
| | | | 121/1 | 0.200 | 0.49 |
| | | | 380 | 0.030 | 0.07 |
| | | | 383/1 | 0.080 | 0.20 |
| | | | 383/2 | 0.040 | 0.10 |
| | | | 383/3 | 0.040 | 0.10 |
| | | | 118/2, 119/5, 119/6 | 0.120 | 0.30 |
| | | | 391 | 0.030 | 0.07 |
| | | | 389 | 0.100 | 0.25 |
| | | | 75/3 | 0.080 | 0.20 |
| | | | 386 | 0.120 | 0.30 |
| | | | 353 | 0.070 | 0.17 |
| | | | 5/23 | 0.150 | 0.37 |
| | | | 71/1 | 0.100 | 0.25 |
| | | | 116/4 | 0.220 | 0.54 |
| | | | 10 | 0.140 | 0.35 |
| | | | 69 | 0.080 | 0.20 |
| | | | 387 | 0.070 | 0.17 |
| | | | 395/1 | 0.100 | 0.25 |
| | | | 36/2 | 0.160 | 0.40 |
| | | | 30/1, 30/2 | 0.110 | 0.27 |
| | | | 31 | 0.700 | 1.73 |
| | | | 59 | 0.120 | 0.30 |
| | | | 79/2 | 0.160 | 0.40 |
| | | | 9 | 0.070 | 0.17 |
| | | | 1/23 | 0.030 | 0.07 |
| | | | 8/1 | 0.080 | 0.20 |
| | | | 8/2 | 0.120 | 0.30 |
| | | | 395/7 | 0.050 | 0.12 |
| | | | 1/29 | 0.080 | 0.20 |
| | | | 354 | 0.070 | 0.17 |
| | | | 76/2 | 0.070 | 0.17 |
| | | | 71/2 | 0.080 | 0.20 |
| | | | 97 | 0.160 | 0.40 |
| | | | 113 | 0.120 | 0.30 |
| | | | 398 | 0.050 | 0.12 |
| | | | **योग** | **6.511** | **16.09** |

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध हो उस संबंध में जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 के उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होने के 21 दिवस (इक्कीस दिवस) के भीतर, भूमि के नीचे पाइपलाईन बिछाये जाने के संबंध में सक्षम अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी, रायगढ़ छत्तीसगढ़ को लिखित रूप में आक्षेप भेज सकेगा.

**टीप :—** भूमि के नीचे पाइपलाईन बिछाये जाने के संबंध में नक्शा एवं नस्ती कार्यालय सक्षम प्राधिकारी अनुविभागीय अधिकारी (रा.) रायगढ़, जिला रायगढ़ (छ.ग.) में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 13 सितम्बर 2011

प्रारूप-ख
[ नियम-5 (1) देखिए ]

क्रमांक 207/बी 121/2010-11.—राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि ग्राम बुनगा, प. ह. नं. 40, तहसील-पुसौर, जिला-रायगढ़ (छ.ग.) से जल परिवहन हेतु ग्राम सलिहाभांठा, प.ह.नं. 32, तहसील-तमनार, जिला-रायगढ़ (छ.ग.) तक मेसर्स जिंदल पावर लिमिटेड, तमनार, पोस्ट-तमनार, जिला-रायगढ़ (छ.ग.) द्वारा भूमिगत पाइपलाईन बिछायी जानी है,

और राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाइपलाईन बिछाने के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि ग्राम बुनगा प. ह. नं. 40, तहसील-पुसौर, जिला-रायगढ़ कि भूमि का जिसमें भूमिगत पाइपलाईन बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए.

अतएव, राज्य सरकार एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ भूमिगत पाइपलाईन (भूमि के उपयोग के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2004 (क्रमांक 7 सन् 2004) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए उस भूमि के उपयोग का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है.

अनुसूची

| जिला | तहसील | ग्राम/प. ह. नं. | खसरा नं. | उपयोग के अधिकार के लिए अर्जित की जाने वाली भूमि | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (हेक्टेयर में) | (एकड़ में) |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| रायगढ़ | पुसौर | ग्राम-बुनगा | 10 | 0.053 | 0.13 |
| | | प.ह.नं. 40 | 13/1 | 0.073 | 0.18 |
| | | | 11 | 0.073 | 0.18 |
| | | | 12/1 | 0.040 | 0.10 |
| | | | 24/1 | 0.032 | 0.08 |
| | | | 24/3 | 0.089 | 0.22 |
| | | | 24/2 | 0.089 | 0.22 |
| | | | 14 | 0.081 | 0.20 |
| | | | 16/1 | 0.089 | 0.22 |
| | | | 16/3 | 0.016 | 0.04 |
| | | | 15/1 | 0.028 | 0.07 |
| | | | 24/4 | 0.097 | 0.24 |
| | | | **योग** | **0.76** | **1.88** |

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 के उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होने के 21 दिवस (इक्कीस दिवस) के भीतर, भूमि के नीचे पाइपलाईन बिछाये जाने के संबंध में सक्षम अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी, रायगढ़ छत्तीसगढ़ को लिखित रूप में आक्षेप भेज सकेगा.

**टीप :—** भूमि के नीचे पाइपलाईन बिछाये जाने के संबंध में नक्शा एवं नस्ती कार्यालय सक्षम प्राधिकारी अनुविभागीय अधिकारी (रा.) रायगढ़, जिला रायगढ़ (छ.ग.) में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 13 सितम्बर 2011

प्रारूप-ख
[ नियम-5 (1) देखिए ]

क्रमांक 208/बी 121/2010-11.—राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि ग्राम ठेंगागुढ़ी, प. ह. नं. 40, तहसील-पुसौर, जिला-रायगढ़ (छ.ग.) से जल परिवहन हेतु ग्राम सलिहाभांठा, प.ह.नं. 32, तहसील-तमनार, जिला-रायगढ़ (छ.ग.) तक मेसर्स जिंदल पावर लिमिटेड, तमनार, पोस्ट-तमनार, जिला-रायगढ़ (छ.ग.) द्वारा भूमिगत पाइपलाईन बिछायी जानी है,

और राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाइपलाईन बिछाने के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि ग्राम ठेंगागुढ़ी प. ह. नं. 40, तहसील-पुसौर, जिला-रायगढ़ कि भूमि का जिसमें भूमिगत पाइपलाईन बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए.

अतएव, राज्य सरकार एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ भूमिगत पाइपलाईन (भूमि के उपयोग के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2004 (क्रमांक 7 सन् 2004) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए उस भूमि के उपयोग का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है.

अनुसूची

| जिला | तहसील | ग्राम/प. ह. नं. | खसरा नं. | उपयोग के अधिकार के लिए अर्जित की जाने वाली भूमि | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (हेक्टेयर में) | (एकड़ में) |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| रायगढ़ | पुसौर | ग्राम-ठेंगागुढ़ी प.ह.नं. 40 | 288/3 | 0.032 | 0.08 |
| | | | 181/2 | 0.012 | 0.03 |
| | | | 261/5 | 0.024 | 0.06 |
| | | | 264 | 0.036 | 0.09 |
| | | | 303 | 0.101 | 0.25 |
| | | | 305 | 0.012 | 0.03 |
| | | | 177/2 | 0.081 | 0.20 |
| | | | 212/2 | 0.024 | 0.06 |
| | | | 302/10 | 0.016 | 0.04 |
| | | | 222/1 | 0.024 | 0.06 |
| | | | 180 | 0.028 | 0.07 |
| | | | 259/1 | 0.146 | 0.36 |
| | | | 209, 211 | 0.109 | 0.27 |
| | | | 181/3 | 0.045 | 0.11 |
| | | | 261/2 | 0.069 | 0.17 |
| | | | 261/4 | 0.028 | 0.07 |
| | | | 219/1 | 0.016 | 0.04 |
| | | | 222/2 | 0.024 | 0.06 |
| | | | 213/2 | 0.028 | 0.07 |
| | | | 289/3 | 0.105 | 0.260 |
| | | | 292/1 | 0.061 | 0.150 |
| | | | 292/1 | 0.061 | 0.15 |
| | | | 284/1, 284/2 | 0.081 | 0.20 |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 79/4 | 0.016 | 0.04 |
| | | | 289/9 | 0.016. | 0.04 |
| | | | 231 | 0.040 | 0.10 |
| | | | 265/1 | 0.089 | 0.22 |
| | | | 167/1 | 0.020 | 0.05 |
| | | | 179/2 | 0.024 | 0.06 |
| | | | 212/1 | 0.020 | 0.05 |
| | | | 221/2 | 0.024 | 0.06 |
| | | | 224 | 0.049 | 0.12 |
| | | | 234/2 | 0.057 | 0.14 |
| | | | 230/1 | 0.077 | 0.19 |
| | | | 230/2 | 0.077 | 0.19 |
| | | | 219/2 | 0.016 | 0.04 |
| | | | 261/3 | 0.057 | 0.14 |
| | | | 302/11 | 0.028 | 0.07 |
| | | | 79/3 | 0.020 | 0.05 |
| | | | 178/1 | 0.040 | 0.10 |
| | | | 233 | 0.036 | 0.09 |
| | | | 262 | 0.162 | 0.40 |
| | | | 263/5 | 0.040 | 0.10 |
| | | | 213/1 | 0.028 | 0.07 |
| | | | 177/1 | 0.081 | 0.20 |
| | | | 181/1 | 0.040 | 0.10 |
| | | | 223 | 0.012 | 0.03 |
| | | | 276/1 | 0.049 | 0.12 |
| | | | 277 | 0.024 | 0.06 |
| | | | 282 | 0.089 | 0.22 |
| | | | 294 | 0.105 | 0.26 |
| | | | 275 | 0.121 | 0.30 |
| | | | 276/2 | 0.061 | 0.15 |
| | | | 287/1 | 0.190 | 0.47 |
| | | | **योग** | **2.810** | **6.94** |

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 के उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होने के 21 दिवस (इक्कीस दिवस) के भीतर, भूमि के नीचे पाइपलाईन बिछाये जाने के संबंध में सक्षम अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी, रायगढ़ छत्तीसगढ़ को लिखित रूप में आक्षेप भेज सकेगा.

टीप :— भूमि के नीचे पाइपलाईन बिछाये जाने के संबंध में नक्शा एवं नस्ती कार्यालय सक्षम प्राधिकारी अनुविभागीय अधिकारी (रा.) रायगढ़, जिला रायगढ़ (छ.ग.) में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 13 सितम्बर 2011

प्रारूप-ख
[ नियम-5 (1) देखिए ]

क्रमांक 209/बी 121/2010-11.—राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि ग्राम सीहा, प. ह. नं. 37, तहसील-पुसौर, जिला-रायगढ़ (छ.ग.) से जल परिवहन हेतु ग्राम सलिहाभांठा, प.ह.नं. 32, तहसील-तमनार, जिला-रायगढ़ (छ.ग.) तक मेसर्स जिंदल पावर लिमिटेड, तमनार, पोस्ट-तमनार, जिला-रायगढ़ (छ.ग.) द्वारा भूमिगत पाइपलाईन बिछायी जानी है,

और राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाइपलाईन बिछाने के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि ग्राम सीहा, प. ह. नं. 37, तहसील-पुसौर, जिला-रायगढ़ कि भूमि का जिसमें भूमिगत पाइपलाईन बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए.

अतएव, राज्य सरकार एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ भूमिगत पाइपलाईन (भूमि के उपयोग के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2004 (क्रमांक 7 सन् 2004) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए उस भूमि के उपयोग का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है.

अनुसूची

| जिला | तहसील | ग्राम/प. ह. नं. | खसरा नं. | उपयोग के अधिकार के लिए अर्जित की जाने वाली भूमि | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (हेक्टेयर में) | (एकड़ में) |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| रायगढ़ | पुसौर | ग्राम-सीहा | 4 | 0.214 | 0.53 |
| | | प.ह.नं. 37 | 5/1 | 0.190 | 0.47 |
| | | | 6/7 | 0.263 | 0.65 |
| | | | 9 | 0.040 | 0.10 |
| | | | 10 | 0.073 | 0.18 |
| | | | 11 | 0.089 | 0.22 |
| | | | 12/1 | 0.008 | 0.02 |
| | | | 12/2 | 0.020 | 0.05 |
| | | | 13 | 0.077 | 0.19 |
| | | | 14 | 0.121 | 0.30 |
| | | | 16/1 | 0.016 | 0.04 |
| | | | 15/1 | 0.089 | 0.22 |
| | | | 21/1 | 0.073 | |
| | | | 22 | 0.105 | 0.18 |
| | | | 192 | 0.053 | 0.13 |
| | | | 23/3 | 0.121 | 0.30 |
| | | | 24 | 0.024 | 0.06 |
| | | | 26 | 0.010 | 0.02 |
| | | | 193 | 0.025 | 0.06 |
| | | | 3/1 | 0.032 | 0.08 |
| | | | **योग** | **1.643** | **3.80** |

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 के उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होने के 21 दिवस (इक्कीस दिवस) के भीतर, भूमि के नीचे पाइपलाईन बिछाये जाने के संबंध में सक्षम अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी, रायगढ़ छत्तीसगढ़ को लिखित रूप में आक्षेप भेज सकेगा.

**टीप :—** भूमि के नीचे पाइपलाईन बिछाये जाने के संबंध में नक्शा एवं नस्ती कार्यालय सक्षम प्राधिकारी अनुविभागीय अधिकारी (रा.) रायगढ़, जिला रायगढ़ (छ.ग.) में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 13 सितम्बर 2011

प्रारूप-ख
[ नियम-5 (1) देखिए ]

क्रमांक 210/बी 121/2010-11.—राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि ग्राम कारीछापर, प. ह. नं. 37, तहसील-पुसौर, जिला-रायगढ़ (छ.ग.) से जल परिवहन हेतु ग्राम सलिहाभांठा, प.ह.नं. 32, तहसील-तमनार, जिला-रायगढ़ (छ.ग.) तक मेसर्स जिंदल पावर लिमिटेड, तमनार, पोस्ट-तमनार, जिला-रायगढ़ (छ.ग.) द्वारा भूमिगत पाइपलाईन बिछायी जानी है,

और राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाइपलाईन बिछाने के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि ग्राम कारीछापर, प. ह. नं. 37, तहसील- पुसौर, जिला-रायगढ़ कि भूमि का जिसमें भूमिगत पाइपलाईन बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए.

अतएव, राज्य सरकार एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ भूमिगत पाइपलाईन (भूमि के उपयोग के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2004 (क्रमांक 7 सन् 2004) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए उस भूमि के उपयोग का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है.

## अनुसूची

| जिला | तहसील | ग्राम/प. ह. नं. | खसरा नं. | उपयोग के अधिकार के लिए अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में) | (एकड़ में) |
|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| रायगढ़ | पुसौर | ग्राम-कारीछापर | 117/4 | 0.028 | 0.07 |
| | | प.ह.नं. 37 | 123/2 | 0.162 | 0.40 |
| | | | 124 | 0.028 | 0.07 |
| | | | 131/2 | 0.105 | 0.26 |
| | | | 122/2 | 0.202 | 0.50 |
| | | | 133/7 | 0.291 | 0.72 |
| | | | 140 | 0.008 | 0.02 |
| | | | 149 | 0.049 | 0.12 |
| | | | 146/2 | 0.040 | 0.10 |
| | | | 117/1 | 0.340 | 0.84 |
| | | | 133/5 | 0.024 | 0.06 |
| | | | 147 | 0.101 | 0.25 |
| | | | 141 | 0.061 | |
| | | | 133/6 | 0.040 | 0.15 |
| | | | 155/1 | 0.028 | 0.07 |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 148/3 | 0.154 | 0.38 |
| | | | 129 | 0.101 | 0.25 |
| | | | **योग** | **1.762** | **4.26** |

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 के उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होने के 21 दिवस (इक्कीस दिवस) के भीतर, भूमि के नीचे पाइपलाईन बिछाये जाने के संबंध में सक्षम अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी, रायगढ़ छत्तीसगढ़ को लिखित रूप में आक्षेप भेज सकेगा.

टीप :— भूमि के नीचे पाइपलाईन बिछाये जाने के संबंध में नक्शा एवं नस्ती कार्यालय सक्षम प्राधिकारी अनुविभागीय अधिकारी (रा.) रायगढ़, जिला रायगढ़ (छ.ग.) में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 13 सितम्बर 2011

प्रारूप-ख
[ नियम-5 (1) देखिए ]

क्रमांक 211/बी 121/2010-11.—राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि ग्राम कोतासुरा, प. ह. नं. 37, तहसील-पुसौर, जिला-रायगढ़ (छ.ग.) से जल परिवहन हेतु ग्राम सलिहाभांठा, प.ह.नं. 32, तहसील-तमनार, जिला-रायगढ़ (छ.ग.) तक मेसर्स जिंदल पावर लिमिटेड, तमनार, पोस्ट-तमनार, जिला-रायगढ़ (छ.ग.) द्वारा भूमिगत पाइपलाईन बिछायी जानी है,

और राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाइपलाईन बिछाने के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि ग्राम कोतासुरा, प. ह. नं. 37, तहसील- पुसौर, जिला-रायगढ़ कि भूमि का जिसमें भूमिगत पाइपलाईन बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए.

अतएव, राज्य सरकार एतदद्वारा छत्तीसगढ़ भूमिगत पाइपलाईन (भूमि के उपयोग के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2004 (क्रमांक 7 सन् 2004) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए उस भूमि के उपयोग का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है.

अनुसूची

| जिला | तहसील | ग्राम/प. ह. नं. | खसरा नं. | उपयोग के अधिकार के लिए अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में) | (एकड़ में) |
|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| रायगढ़ | पुसौर | ग्राम-कोतासुरा प.ह.नं. 37 | 4/2 | 0.045 | 0.11 |
| | | | 6 | 0.036 | 0.09 |
| | | | 7 | 0.061 | 0.15 |
| | | | 8 | 0.141 | 0.35 |
| | | | 11/2 | 0.045 | 0.11 |
| | | | 12/2 | 0.028 | 0.07 |
| | | | 10 | 0.129 | 0.32 |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 269 | 0.065 | 0.16 |
| | | | 263 | 0.210 | 0.52 |
| | | | 270 | 0.170 | 0.42 |
| | | | 15 | 0.053 | 0.1[illegible] |
| | | | 254 | 0.283 | 0.70 |
| | | | **योग** | **1.266** | **3.13** |

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 के उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होने के 21 दिवस (इक्कीस दिवस) के भीतर, भूमि के नीचे पाइपलाईन बिछाये जाने के संबंध में सक्षम अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी, रायगढ़ छत्तीसगढ़ को लिखित रूप में आक्षेप भेज सकेगा.

**टीप :—** भूमि के नीचे पाइपलाईन बिछाये जाने के संबंध में नक्शा एवं नस्ती कार्यालय सक्षम प्राधिकारी अनुविभागीय अधिकारी (रा.) रायगढ़, जिला रायगढ़ (छ.ग.) में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 13 सितम्बर 2011

**प्रारूप-ख**

[ नियम-5 (1) देखिए ]

क्रमांक 212/बी 121/2010-11.—राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि ग्राम तेतला, प. ह. नं. 29, तहसील-पुसौर, जिला-रायगढ़ (छ.ग.) से जल परिवहन हेतु ग्राम सलिहाभांठा, प.ह.नं. 32, तहसील-तमनार, जिला-रायगढ़ (छ.ग.) तक मेसर्स जिंदल पावर लिमिटेड, तमनार, पोस्ट-तमनार, जिला-रायगढ़ (छ.ग.) द्वारा भूमिगत पाइपलाईन बिछायी जानी है.

और राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाइपलाईन बिछाने के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि ग्राम तेतला, प. ह. नं. 29, तहसील-पुसौर, जिला-रायगढ़ कि भूमि का जिसमें भूमिगत पाइपलाईन बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए.

अतएव, राज्य सरकार एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ भूमिगत पाइपलाईन (भूमि के उपयोग के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2004 (क्रमांक 7 सन् 2004) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए उस भूमि के उपयोग का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है.

## अनुसूची

| जिला | तहसील | ग्राम/प. ह. नं. | खसरा नं. | उपयोग के अधिकार के लिए अर्जित की जाने वाली भूमि | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (हेक्टेयर में) | (एकड़ में) |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| रायगढ़ | पुसौर | ग्राम-तेतला | 820/1, 821 | 0.072 | 0.18 |
| | | प.ह.नं. 29 | 1013/1 | 0.049 | 0.12 |
| | | | 1034 | 0.061 | 0.15 |
| | | | 1039/1 | 0.154 | 0.38 |
| | | | 1040/2 | 0.028 | 0.07 |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1025/2 | 0.016 | 0.04 |
| | | | 1026 | 0.012 | 0.03 |
| | | | 1027 | 0.065 | 0.16 |
| | | | 1028/1 | 0.028 | 0.07 |
| | | | 1029, 1030 | 0.069 | 0.17 |
| | | | 1033/2 | 0.057 | 0.14 |
| | | | 1061/1 | 0.008 | 0.02 |
| | | | 1060/5 | 0.182 | 0.45 |
| | | | 1063 | 0.016 | 0.04 |
| | | | 1064/2 | 0.226 | 0.56 |
| | | | 1066/3 | 0.226 | 0.56 |
| | | | 1112/6, 1113/6 | 0.123 | 0.30 |
| | | | 1114/3 | 0.061 | 0.15 |
| | | | 1172/1 | 0.093 | 0.23 |
| | | | 1172/2 | 0.004 | 0.01 |
| | | | 1171/6, 1181/5 | 0.186 | 0.46 |
| | | | 1179/1 | 0.101 | 0.25 |
| | | | 1180/1, 1180/2 | 0.061 | 0.15 |
| | | | 1505 | 0.081 | 0.20 |
| | | | 1504/3 | 0.235 | 0.58 |
| | | | 1502, 1503 | 0.008 | 0.02 |
| | | | 1546/4, 1600/4 | 0.061 | 0.15 |
| | | | 1547 | 0.061 | 0.15 |
| | | | 1548 | 0.008 | 0.02 |
| | | | 1549 | 0.049 | 0.12 |
| | | | 1600/1 | 0.04 | 0.10 |
| | | | 1589/3, 1591 | 0.113 | 0.28 |
| | | | 1592/6 | 0.077 | 0.19 |
| | | | 1589/1 | 0.081 | 0.20 |
| | | | 1593/1, 1593/8 | 0.073 | 0.18 |
| | | | 1579 | 0.089 | 0.22 |
| | | | 1577/1 | 0.089 | 0.22 |
| | | | 1576/2 | 0.089 | 0.22 |
| | | | 1573/3 | 0.057 | 0.14 |
| | | | 1179/2 | 0.016 | 0.04 |
| | | | 1506 | 0.178 | 0.44 |
| | | | **योग** | **3.303** | **8.16** |

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 के उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होने के 21 दिवस (इक्कीस दिवस) के भीतर, भूमि के नीचे पाइपलाईन बिछाये जाने के संबंध में सक्षम अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी, रायगढ़ छत्तीसगढ़ को लिखित रूप में आक्षेप भेज सकेगा.

टीप :— भूमि के नीचे पाइपलाईन बिछाये जाने के संबंध में नक्शा एवं नस्ती कार्यालय सक्षम प्राधिकारी अनुविभागीय अधिकारी (रा.) रायगढ़, जिला रायगढ़ (छ.ग.) में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 13 सितम्बर 2011

प्रारूप-ख

[ नियम-5 (1) देखिए ]

क्रमांक 213/बी 121/2010-11.—राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि ग्राम नंदेली, प. ह. नं. 37, तहसील-पुसौर, जिला-रायगढ़ (छ.ग.) से जल परिवहन हेतु ग्राम सलिहाभांठा, प.ह.नं. 32, तहसील-तमनार, जिला-रायगढ़ (छ.ग.) तक मेसर्स जिंदल पावर लिमिटेड, तमनार, पोस्ट-तमनार, जिला-रायगढ़ (छ.ग.) द्वारा भूमिगत पाइपलाईन बिछायी जानी है,

और राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाइपलाईन बिछाने के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि ग्राम नंदेली, प. ह. नं. 37, तहसील-पुसौर, जिला-रायगढ़ कि भूमि का जिसमें भूमिगत पाइपलाईन बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए.

अतएव, राज्य सरकार एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ भूमिगत पाइपलाईन (भूमि के उपयोग के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2004 (क्रमांक 7 सन् 2004) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए उस भूमि के उपयोग का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है.

## अनुसूची

| जिला | तहसील | ग्राम/प. ह. नं. | खसरा नं. | उपयोग के अधिकार के लिए अर्जित की जाने वाली भूमि | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (हेक्टेयर में) | (एकड़ में) |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| रायगढ़ | पुसौर | ग्राम-नंदेली | 108 | 0.049 | 0.12 |
| | | प.ह.नं. 37 | 115/1 | 0.073 | 0.18 |
| | | | 110 | 0.028 | 0.07 |
| | | | 157 | 0.089 | 0.22 |
| | | | 156/2 | 0.049 | 0.12 |
| | | | 156/1 | 0.020 | 0.05 |
| | | | 155/2 | 0.012 | 0.03 |
| | | | 155/3 | 0.012 | 0.03 |
| | | | 155/4 | 0.008 | 0.02 |
| | | | 155/5 | 0.032 | 0.08 |
| | | | 154 | 0.085 | 0.21 |
| | | | 161/1 | 0.049 | 0.12 |
| | | | 162/2 | 0.089 | 0.22 |
| | | | 165/9 | 0.093 | 0.23 |
| | | | 165/12 | 0.008 | 0.02 |
| | | | 166/1 | 0.061 | 0.15 |
| | | | 165/9 | 0.032 | 0.08 |
| | | | 167/2 | 0.024 | 0.06 |
| | | | 169/2 | 0.049 | 0.12 |
| | | | 490 | 0.053 | 0.13 |
| | | | 185/1, 185/2 | 0.101 | 0.25 |
| | | | 477 | 0.012 | 0.03 |
| | | | 479/1 | 0.049 | 0.12 |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 186/1 | 0.041 | 0.10 |
| | | | 476/1 | 0.036 | 0.09 |
| | | | 474 | 0.065 | 0.16 |
| | | | 475/2 | 0.045 | 0.11 |
| | | | 327/5 | 0.065 | 0.16 |
| | | | 327/4 | 0.065 | 0.16 |
| | | | 330 | 0.024 | 0.06 |
| | | | 331 | 0.024 | 0.06 |
| | | | 326/1 | 0.061 | 0.15 |
| | | | 480 | 0.446 | 1.10 |
| | | | 102 | 0.065 | 0.16 |
| | | | 111/1 | 0.041 | 0.10 |
| | | | 122/2 kha | 0.121 | 0.30 |
| | | | 112/2, 112/3 | 0.153 | 0.38 |
| | | | 343/1 | 0.020 | 0.05 |
| | | | 343/3 | 0.020 | 0.05 |
| | | | 341/1 | 0.045 | 0.11 |
| | | | 342/2 | 0.012 | 0.03 |
| | | | 340/1 | 0.045 | 0.11 |
| | | | 338 | 0.129 | 0.32 |
| | | | 352/1 | 0.041 | 0.10 |
| | | | 351 | 0.041 | 0.10 |
| | | | 352/1 | 0.041 | 0.10 |
| | | | 339/2 | 0.016 | 0.04 |
| | | | 272/1 | 0.089 | 0.22 |
| | | | 273 | 0.016 | 0.04 |
| | | | 275 | 0.024 | 0.06 |
| | | | 277/1 | 0.032 | 0.08 |
| | | | 280 | 0.016 | 0.04 |
| | | | 281/1 | 0.024 | 0.06 |
| | | | 262/1 kha | 0.057 | 0.14 |
| | | | 257 | 0.178 | 0.44 |
| | | | 281/1 | 0.016 | 0.04 |
| | | | 258 | 0.024 | 0.06 |
| | | | 325 | 0.004 | 0.01 |
| | | | 276/2 | 0.041 | 0.10 |
| | | | 282 | 0.004 | 0.01 |
| | | | 324/1 | 0.008 | 0.02 |
| | | | 455 | 0.057 | 0.14 |
| | | | 477 | 0.008 | 0.02 |
| | | | 478 | 0.065 | 0.16 |
| | | | 492/1 | 0.081 | 0.20 |
| | | | 489/1 | 0.073 | 0.18 |
| | | | 163/2 | 0.024 | 0.06 |
| | | | 115/1 | 0.057 | 0.14 |
| | | | 122/1 | 0.208 | 0.51 |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 172/1 | 0.065 | 0.16 |
| | | | 286/1 | 0.129 | 0.32 |
| | | | 454/1 | 0.024 | 0.06 |
| | | | 263 | 0.041 | 0.10 |
| | | | 114 | 0.028 | 0.07 |
| | | | **योग** | **4.132** | **10.21** |

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 के उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होने के 21 दिवस (इक्कीस दिवस) के भीतर, भूमि के नीचे पाइपलाईन बिछाये जाने के संबंध में सक्षम अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी, रायगढ़ छत्तीसगढ़ को लिखित रूप में आक्षेप भेज सकेगा.

**टीप :—** भूमि के नीचे पाइपलाईन बिछाये जाने के संबंध में नक्शा एवं नस्ती कार्यालय सक्षम प्राधिकारी अनुविभागीय अधिकारी (रा.) रायगढ़, जिला रायगढ़ (छ.ग.) में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 13 सितम्बर 2011

**प्रारूप-ख**

[ नियम-5 (1) देखिए ]

क्रमांक 214/बी 121/2010-11.—राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि ग्राम सुर्री, प. ह. नं. 29, तहसील-पुसौर, जिला-रायगढ़ (छ.ग.) से जल परिवहन हेतु ग्राम सलिहाभांठा, प.ह.नं. 32, तहसील-तमनार, जिला-रायगढ़ (छ.ग.) तक मेसर्स जिंदल पावर लिमिटेड, तमनार, पोस्ट-तमनार, जिला-रायगढ़ (छ.ग.) द्वारा भूमिगत पाइपलाईन बिछायी जानी है,

और राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाइपलाईन बिछाने के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि ग्राम सुर्री, प. ह. नं. 29, तहसील-पुसौर, जिला-रायगढ़ कि भूमि का जिसमें भूमिगत पाइपलाईन बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए.

अतएव, राज्य सरकार एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ भूमिगत पाइपलाईन (भूमि के उपयोग के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2004 (क्रमांक 7 सन् 2004) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए उस भूमि के उपयोग का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है.

## अनुसूची

| जिला | तहसील | ग्राम/प. ह. नं. | खसरा नं. | उपयोग के अधिकार के लिए अर्जित की जाने वाली भूमि | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (हेक्टेयर में) | (एकड़ में) |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| रायगढ़ | पुसौर | ग्राम-सुर्री | 294/1 | 0.051 | 0.13 |
| | | प.ह.नं. 29 | 749/6 | 0.048 | 0.12 |
| | | | 307/1 | 0.120 | 0.30 |
| | | | 506/1, 509/1 | 0.040 | 0.10 |
| | | | 294/2 | 0.048 | 0.12 |
| | | | 482/1, 483/2 | 0.010 | 0.02 |
| | | | 484 | 0.010 | 0.02 |
| | | | 483/3, 485 | 0.020 | 0.05 |
| | | | 299/3 ङ, 300/2 | 0.168 | 0.42 |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 315/1 | 0.020 | 0.05 |
| | | | 589 | 0.096 | 0.24 |
| | | | 763/1 | 0.040 | 0.10 |
| | | | 769/1क | 0.160 | 0.40 |
| | | | 761 | 0.022 | 0.05 |
| | | | 762 | 0.008 | 0.02 |
| | | | 758 | 0.070 | 0.17 |
| | | | 748/2क, 748/2ग | 0.120 | 0.30 |
| | | | 482/2 | 0.024 | 0.06 |
| | | | 483/1 | 0.020 | 0.05 |
| | | | 593/1ख | 0.220 | 0.54 |
| | | | 296 | 0.024 | 0.06 |
| | | | 297 | 0.040 | 0.10 |
| | | | 744, 745/1, 745/3 | 0.016 | 0.04 |
| | | | 757/1ख, 845/1 | 0.030 | 0.07 |
| | | | 486/1ग | 0.016 | 0.04 |
| | | | 486/2, 487 | 0.185 | 0.46 |
| | | | 749/4 | 0.008 | 0.02 |
| | | | 847/1ग | 0.120 | 0.30 |
| | | | 557/1 | 0.010 | 0.02 |
| | | | 567/1 | 0.052 | 0.13 |
| | | | 555/1 | 0.041 | 0.10 |
| | | | 841/1च | 0.060 | 0.15 |
| | | | 563/1 | 0.050 | 0.12 |
| | | | 285 | 0.032 | 0.08 |
| | | | 841/2 | 0.028 | 0.07 |
| | | | 555/2 | 0.076 | 0.19 |
| | | | 749/7 | 0.040 | 0.10 |
| | | | 592/1 | 0.060 | 0.15 |
| | | | 766/2क, 767/2क, 782/6क | 0.012 | 0.03 |
| | | | 560/1 | 0.048 | 0.12 |
| | | | 586/2, 588/3 | 0.060 | 0.15 |
| | | | 588/1 | 0.120 | 0.30 |
| | | | 749/3 | 0.016 | 0.04 |
| | | | 556 | 0.056 | 0.14 |
| | | | 750 | 0.176 | 0.43 |
| | | | 564 | 0.020 | 0.05 |
| | | | 307/2क, 307/2ख | 0.028 | 0.07 |
| | | | 545/1क, 546/1क, 782/9क | 0.240 | 0.59 |
| | | | 756 | 0.120 | 0.30 |
| | | | 593/1क | 0.220 | 0.54 |
| | | | 744/3, 745/1घ, 745/5 | 0.024 | 0.06 |
| | | | 756/2क/1 | 0.080 | 0.20 |
| | | | 754/1ख | 0.106 | 0.26 |
| | | | 486/1ख | 0.008 | 0.02 |
| | | | 745/1ख | 0.040 | 0.10 |
| | | | 745/2 | 0.032 | 0.08 |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 746 | 0.025 | 0.06 |
| | | | 766/1 | 0.060 | 0.15 |
| | | | 757/1क | 0.433 | 1.07 |
| | | | योग | 4.127 | 10.20 |

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 के उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होने के 21 दिवस (इक्कीस दिवस) के भीतर, भूमि के नीचे पाइपलाईन बिछाये जाने के संबंध में सक्षम अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी, रायगढ़ छत्तीसगढ़ को लिखित रूप में आक्षेप भेज सकेगा.

**टीप :—** भूमि के नीचे पाइपलाईन बिछाये जाने के संबंध में नक्शा एवं नस्ती कार्यालय सक्षम प्राधिकारी अनुविभागीय अधिकारी (रा.) रायगढ़, जिला रायगढ़ (छ.ग.) में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 13 सितम्बर 2011

प्रारूप-ख

[ नियम-5 (1) देखिए ]

क्रमांक 215/बी 121/2010-11.—राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि ग्राम कोड़ातराई, प. ह. नं. 24, तहसील-पुसौर, जिला-रायगढ़ (छ.ग.) से जल परिवहन हेतु ग्राम सलिहाभांठा, प.ह.नं. 32, तहसील-तमनार, जिला-रायगढ़ (छ.ग.) तक मेसर्स जिंदल पावर लिमिटेड, तमनार, पोस्ट-तमनार, जिला-रायगढ़ (छ.ग.) द्वारा भूमिगत पाइपलाईन बिछायी जानी है,

और राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाइपलाईन बिछाने के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि ग्राम कोड़ातराई, प. ह. नं. 24, तहसील- पुसौर, जिला-रायगढ़ कि भूमि का जिसमें भूमिगत पाइपलाईन बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए.

अतएव, राज्य सरकार एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ भूमिगत पाइपलाईन (भूमि के उपयोग के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2004 (क्रमांक 7 सन् 2004) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए उस भूमि के उपयोग का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है.

अनुसूची

| जिला | तहसील | ग्राम/प. ह. नं. | खसरा नं. | उपयोग के अधिकार के लिए अर्जित की जाने वाली भूमि | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (हेक्टेयर में) | (एकड़ में) |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| रायगढ़ | पुसौर | ग्राम-कोड़ातराई | 357/3 | 0.057 | 0.14 |
| | | प.ह.नं. 24 | 358/1 | 0.138 | 0.34 |
| | | | 358/2क | 0.129 | 0.32 |
| | | | 47/2, 51/2, 53/2 | 0.024 | 0.06 |
| | | | 60/2, 62/1, 65/4 | 0.085 | 0.21 |
| | | | 359/5 d | 0.182 | 0.45 |
| | | | 50/1 | 0.065 | 0.16 |
| | | | 326/4 | 0.121 | 0.30 |
| | | | 361/4 | 0.146 | 0.36 |
| | | | 306/3, 308/3 | 0.121 | 0.30 |
| | | | 308/4, 309/3 | 0.064 | 0.16 |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 325/1 | 0.162 | 0.40 |
| | | | 363/1 | 0.040 | 0.10 |
| | | | 328/1 | 0.142 | 0.35 |
| | | | 360/2 | 0.129 | 0.32 |
| | | | 374 | 0.020 | 0.05 |
| | | | 371/1 | 0.243 | 0.60 |
| | | | 362/2 | 0.073 | 0.18 |
| | | | 372/1 | 0.040 | 0.10 |
| | | | 329/2 | 0.020 | 0.05 |
| | | | 51/1 | 0.202 | 0.50 |
| | | | 52 | 0.280 | 0.69 |
| | | | 65/3 | 0.121 | 0.30 |
| | | | 373/2 | 0.060 | 0.15 |
| | | | 946/1 | 0.053 | 0.13 |
| | | | 980/2 | 0.121 | 0.30 |
| | | | 1006/24 | 0.032 | 0.08 |
| | | | 988/11 | 0.061 | 0.15 |
| | | | 979/2 | 0.020 | 0.05 |
| | | | 980/3 | 0.061 | 0.15 |
| | | | 1006/21 | 0.061 | 0.15 |
| | | | 949/2, 953/2 | 0.089 | 0.22 |
| | | | 1006/2 | 0.081 | 0.20 |
| | | | 1006/6 | 0.081 | 0.20 |
| | | | 988/4 | 0.146 | 0.36 |
| | | | 989/2 | 0.032 | 0.08 |
| | | | 1083/1 | 0.016 | 0.04 |
| | | | 986/1 | 0.040 | 0.10 |
| | | | 987/2 | 0.133 | 0.33 |
| | | | 989/3 | 0.016 | 0.04 |
| | | | 1006/1 | 0.040 | 0.10 |
| | | | 1084/4 | 0.049 | 0.12 |
| | | | 986/2ख | 0.061 | 0.15 |
| | | | 1080/1क/2, 1081/1क/5 | 0.061 | 0.15 |
| | | | 1080/1क/6 | | 0.00 |
| | | | 952/2 | 0.101 | 0.25 |
| | | | 977/5 | 0.061 | 0.15 |
| | | | 980/4 | 0.061 | 0.15 |
| | | | 988/2 | 0.061 | 0.15 |
| | | | 1006/13 | 0.020 | 0.05 |
| | | | 1080/1ख | | 0.00 |
| | | | 1081/1ग | 0.024 | 0.06 |
| | | | 1082/2, 1083/4ख | 0.016 | 0.04 |
| | | | 978 | 0.105 | 0.26 |
| | | | 1081/1क/4 | 0.024 | 0.06 |
| | | | 1080/1क/3, 1081/1क/6 | 0.040 | 0.10 |
| | | | 946/5 | 0.121 | 0.30 |
| | | | 946/2 | 0.081 | 0.20 |
| | | | 948/2 | 0.061 | 11.65 |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 61 | 0.051 | 23.16 |
| | | | 324/1 | 0.073 | 45.97 |
| | | | 359/2 | 0.025 | 91.62 |
| | | | 880/1 | 0.025 | 183.19 |
| | | | 1014 | 0.049 | 366.16 |
| | | | **योग** | **4.998** | **366.16** |

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 के उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होने के 21 दिवस (इक्कीस दिवस) के भीतर, भूमि के नीचे पाइपलाईन बिछाये जाने संबंध में सक्षम अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी, रायगढ़ छत्तीसगढ़ को लिखित रूप में आक्षेप भेज सकेगा.

टीप :— भूमि के नीचे पाइपलाईन बिछाये जाने के संबंध में नक्शा एवं नस्ती कार्यालय सक्षम प्राधिकारी अनुविभागीय अधिक ा (रा.) रायगढ़, जिला रायगढ़ (छ.ग.) में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 13 सितम्बर 2011

प्रारूप-ख

[ नियम-5 (1) देखिए ]

क्रमांक 216/बी 121/2010-11.—राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि ग्राम लोहरसिंह, प. ह. नं. 24, तहसील-पुसौर, जिला-रायगढ़ (छ.ग.) से जल परिवहन हेतु ग्राम सलिहाभांठा, प.ह.नं. 32, तहसील-तमनार, जिला-रायगढ़ (छ.ग.) तक मेसर्स जिंदल पावर लिमिटेड, तमनार, पोस्ट-तमनार, जिला-रायगढ़ (छ.ग.) द्वारा भूमिगत पाइपलाईन बिछायी जानी है,

और राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाइपलाईन बिछाने के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि ग्राम लोहरसिंह, प. ह. नं. 24, तहसील- पुसौर, जिला-रायगढ़ कि भूमि का जिसमें भूमिगत पाइपलाईन बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए.

अतएव, राज्य सरकार एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ भूमिगत पाइपलाईन (भूमि के उपयोग के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2004 (क्रमांक 7 सन् 2004) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए उस भूमि के उपयोग का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है.

## अनुसूची

| जिला | तहसील | ग्राम/प. ह. नं. | खसरा नं. | उपयोग के अधिकार के लिए अर्जित की जाने वाली भूमि | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (हेक्टेयर में) | (एकड़ में) |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| रायगढ़ | पुसौर | ग्राम-लोहरसिंह | 232/1 | 0.138 | 0.34 |
| | | प.ह.नं. 24 | 233 | 0.186 | 0.46 |
| | | | 241/1क | 0.283 | 0.70 |
| | | | 241/3क | | 0.00 |
| | | | 246 | 0.036 | 0.09 |
| | | | 531 | 0.101 | 0.25 |
| | | | 244/2 | 0.061 | 0.15 |
| | | | 1034/3 | 0.061 | 0.15 |
| | | | 525/3 | 0.032 | 0.08 |
| | | | 1028/1 | 0.065 | 0.16 |
| | | | 878/1035/1 | 0.121 | 0.30 |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1030 | 0.113 | 0.28 |
| | | | 1029/2 | 0.097 | 0.24 |
| | | | 526/2क | 0.065 | 0.16 |
| | | | 523, 524 | 0.081 | 0.20 |
| | | | 259 | 0.540 | 1.33 |
| | | | 517/5, 518 | 0.016 | 0.04 |
| | | | 1023 | 0.097 | 0.24 |
| | | | 530/1 | 0.040 | 0.10 |
| | | | 517/4 | 0.049 | 0.12 |
| | | | 1026 | 0.040 | 0.10 |
| | | | 1025/1 | 0.049 | 0.12 |
| | | | 525/2 | 0.032 | 0.08 |
| | | | 1034/4 | 0.113 | 0.28 |
| | | | 1041 | 0.089 | 0.22 |
| | | | 1043 | 0.040 | 0.10 |
| | | | 525/1 | 0.032 | 0.08 |
| | | | 245/1 | 0.036 | 0.09 |
| | | | 244/1 | 0.061 | 0.15 |
| | | | 1022 | 0.073 | 0.18 |
| | | | 529/2 | 0.105 | 0.26 |
| | | | 1039 | 0.032 | 0.08 |
| | | | 1040 | | 0.00 |
| | | | 1042 | | 0.00 |
| | | | 1044 | 0.040 | 0.10 |
| | | | 524/4 | | 0.00 |
| | | | 525/5 | 0.032 | 0.08 |
| | | | 232/2 | 0.034 | 0.08 |
| | | | 242 | 0.040 | 0.10 |
| | | | 241/1ख, 341/3 ख | 0.154 | 0.38 |
| | | | 1027 | 0.154 | 0.38 |
| | | | 747/1 | 0.061 | 0.15 |
| | | | 243/1 | 0.024 | 0.06 |
| | | | 258/1 | 0.109 | 0.27 |
| | | | 530/2 | 0.040 | 0.10 |
| | | | 259/1 | 0.218 | 0.54 |
| | | | 263 | 0.226 | 0.56 |
| | | | **योग** | **4.016** | **9.92** |

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 के उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होने के 21 दिवस (इक्कीस दिवस) के भीतर, भूमि के नीचे पाइपलाईन बिछाये जाने के संबंध में सक्षम अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी, रायगढ़ छत्तीसगढ़ को लिखित रूप में आक्षेप भेज सकेगा.

**टीप :—** भूमि के नीचे पाइपलाईन बिछाये जाने के संबंध में नक्शा एवं नस्ती कार्यालय सक्षम प्राधिकारी अनुविभागीय अधिकारी (रा.) रायगढ़, जिला रायगढ़ (छ.ग.) में देखा जा सकता है.

**जे. आर. चौरसिया,**
सक्षम प्राधिकारी.